




राजस्थान लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2013-14





"मौरीशस के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिनांक 8.12.14 से 11.12.14 तक आयोग का भ्रमण एवं विचार-विमर्श"



राजस्थान लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2013–2014

64वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अप्रैल 1, 2013 से मार्च 31, 2014

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अपना चौंसठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) द्वारा अपेक्षित है,

महामहिम राज्यपाल, राजस्थान

को प्रस्तुत करता है।

यह प्रतिवेदन

अप्रैल 1, 2013 से मार्च 31, 2014 तक

की अवधि से सम्बन्धित है।

विषय—सूची

क्र.सं.		पृष्ठ संख्या
1.	आयोग	
2.	आयोग—सचिवालय	
3.	भवन	
4.	आय—व्यय	
5.	आयोग की बैठकें	
6.	भर्ती—	
	(क) साक्षात्कार सहित / रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा	
	(ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा	
7.	भर्ती—प्रक्रिया में सुधार	
8.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण	
9.	विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ	
10.	अस्थायी नियुक्तियों की अवधि—वृद्धि	
11.	अनियमित नियुक्तियाँ	
12.	अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें	
13.	सेवा नियम	
14.	आयोग के परामर्श की अस्वीकृति	
15.	विविध (क) अन्तर्राष्ट्रीय दल की यात्राएं (ख) माननीय अध्यक्ष / सदस्यगण की यात्राएं (ग) पुस्तकालय (घ) ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रतिवेदन (च) सूचना प्रौद्योगिकी – पहल एवं गतिविधियाँ (छ) आयोग को प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कार	
16.	अभिस्वीकृति	

परिशिष्ट

क्र.सं.		पु.संख्या
1.	आयोग के कृत्य	
2.	आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य—गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण	
3.	(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष—गण की सूची (ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य—गण की सूची	
4.	(क) आयोग—सचिवालय के अधिकारी / कर्मचारी (ख) वर्ष 2009–2010 से 2013–2014 तक सम्पादित कार्य का तुलनात्मक विवरण	
5.	वर्ष 2012–2013 तथा 2013–2014 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण	
6.	वर्ष 2013–2014 के दौरान् आयोजित परीक्षाओं का विवरण	

क्र.सं.		पृ.संख्या
7.	(क) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2013–14 के दौरान् प्राप्त हुई, का विवरण	
	(ख) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनके लिए वर्ष 2013–14 के दौरान् विज्ञापन जारी किए गए, का विवरण	
	(ग) वर्ष 2013–14 के दौरान् साक्षात्कार द्वारा चयन	
	(घ) पद विज्ञापित किये गये, किन्तु चयन अपूर्ण रहा	
	(ङ) अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ	
	(च) पदों का विवरण जिनकी अर्थना विज्ञापन उपरान्त निरस्त की गई	
	(छ) उन पदों का विवरण जिनके लिए साक्षात्कार आयोजिए किए गए परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले	
	(ज) पद जिनके लिए आरक्षित सूची में से नाम अभिस्तावित किये गए	
	(झ) पद विज्ञापित किये गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, का विवरण	
8.	(क) विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण	
	(ख) आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया	
9.	चिरकालिक प्रकरण – विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब	
10.	शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई एवं आयोग द्वारा अनुमोदित अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण	
11.	शासन द्वारा सीधी भर्ती यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	
12.	शासन द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	
13.	आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन	
14.	नवीन सेवा नियमों के प्रारूप	
15.	नवीन सेवा नियमों अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन	
16.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी नियम के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची	
17.	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र/परीक्षा को मान्यता देने सम्बन्धी आयोग को भेजे गये प्रकरण	
18.	वर्ष 2013–2014 के दौरान् आयोजित परीक्षाएँ/साक्षात्कार/चयन संबंधी सूचना	

1. आयोग

राजस्थान राज्य का गठन राजपूताना के अन्तर्गत विद्यमान तत्कालीन रियासतों के विलीनीकरण एवं पार्ट-सी राज्य अजमेर-मेरवाड़ा को सम्मिलित करते हुए हुआ। राजस्थान के गठन की प्रक्रिया के समय लोक सेवा आयोग जैसी संस्था तत्समय विद्यमान 22 राज्यों में से मात्र तीन राज्यों जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में अस्तित्व में थी।

रियासतों के विलय के उपरान्त दिनांक 16 अगस्त, 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु ऑर्डर्नेन्स जारी किया गया जो कि दिनांक 20.08.1949 को प्रकाशित हुआ किन्तु दिनांक 22 दिसम्बर, 1949 को आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही राजस्थान लोक सेवा आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया।


भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन तथा अनुच्छेद 316 में आयोग के माननीय सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं।

1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में विनिर्दिष्ट आयोग के कृत्य परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

1.2. आयोग की संरचना वर्ष के दौरान निम्न प्रकार थी:-

1. डॉ. हबीब खान गौराण, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)


अध्यक्ष



2. श्री शिवपाल सिंह नांगल

सदस्य

(दिनांक 13.11.2013 को त्यागपत्र दिया)



3. श्री कन्हैयालाल बेरवाल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)

सदस्य



4. प्रोफेसर पी. के. दशोरा

सदस्य



5. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर

सदस्य



6. डॉ. आर.डी. सैनी

सदस्य

(दिनांक 18.06.2013 को A/N माननीय सदस्य के पद पर कार्यग्रहण किया)



7. श्री सुरजीत लाल मीणा

सदस्य


(दिनांक 18.06.2013 को A/N माननीय सदस्य के पद पर कार्यग्रहण किया)



8. डॉ. के.आर. बागड़िया

सदस्य


(दिनांक 18.06.2013 को A/N माननीय सदस्य के पद पर कार्यग्रहण किया)



- 1.3 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में माननीय सदस्य का एक पद रिक्त रहा।
- 1.4 आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य—गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण परिशिष्ट—2 में दिया गया है।
- 1.5 आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष—गण एवं माननीय सदस्य—गण की सूची (पदावधि सहित) परिशिष्ट—3 (क) एवं (ख) में दी गई है।
- 1.6 शासन के कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(4)डीओपी/क—2/2011 दिनांक 27.06.2011 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम 3 के उपविनियम (1) में विद्यमान शब्द ‘पांच’ के स्थान पर शब्द ‘सात’ प्रतिस्थापित किया गया अर्थात् सदस्यों की अधिकतम संख्या पांच के स्थान पर सात कर दी गई।

2. आयोग—सचिवालय

- 2.1 आयोग सचिवालय के मुख्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं।
- 2.2 डॉ. के.के. पाठक, आई.ए.एस. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् दिनांक 16.12.2013 तक आयोग के सचिव पद पर आसीन रहे। डॉ. के.के. पाठक, आई.ए.एस. के स्थानान्तरण के पश्चात् सचिव पद का कार्यभार उप सचिव (प्रशासन) को सौंपा गया।
- 2.3 श्री नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस. ने दिनांक 03.03.2014 को आयोग के सचिव का पदभार ग्रहण किया एवं प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक उक्त पद पर आसीन रहे।
- 2.4 1 अप्रैल, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को आयोग—सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी—वर्ग की स्वीकृत संख्या का विवरण परिशिष्ट—4 (क) में दिया गया है।
- 2.5 आयोग सचिवालय का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है:-



2.6 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् निम्न पदों के नव—सृजन/क्रमोन्नयन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये :—

(क) आयोग कार्यालय हेतु

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	वरिष्ठ उप सचिव	04	नवसृजन
2	उप सचिव	04	नवसृजन
3	सहायक सचिव	06	नवसृजन
4	निजी सचिव	04	नवसृजन
5	अतिरिक्त निजी सचिव	02	नवसृजन
6	अनुभाग अधिकारी	12	नवसृजन
7	सहा. अनुभाग अधिकारी	06	नवसृजन
8	शीघ्रलिपिक	23	नवसृजन
9	लिपिक ग्रेड—।	58	नवसृजन
10	लिपिक ग्रेड—॥	125	नवसृजन
11	वाहन चालक	06	नवसृजन
12	इलेक्ट्रिशियन	02	नवसृजन
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	नवसृजन
	योग :	267	

(ख) आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों हेतु

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	वित्तीय सलाहकार	01	वरिष्ठ लेखाधिकारी पद से क्रमोन्नयन
2	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	01	नवसृजन
3	विशेषाधिकारी (परीक्षा)	02	नवसृजन
4	अतिरिक्त निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी)	01	नवसृजन
5	सिस्टम एनालिस्ट	01	नवसृजन
6	एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर	02	नवसृजन
7	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	नवसृजन
8	जनसम्पर्क अधिकारी	01	नवसृजन
9	प्रोग्रामर	05	नवसृजन
10	सहायक लेखाधिकारी—।	01	नवसृजन
11	सहायक अकादमिक अधिकारी (मा. अध्यक्ष)	01	नवसृजन
12	सहायक लेखाधिकारी—॥	01	नवसृजन
13	कनिष्ठ लेखाकार	01	नवसृजन
14	सहायक प्रोग्रामर	03	नवसृजन
15	सूचना सहायक	15	नवसृजन
16	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	नवसृजन
	योग :	38	

- 2.7 आयोग के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में गत वर्ष तक की स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों को उनके समुख अंकित दिनांक से नव-सृजन/क्रमोन्नत किया गया :—

क्र0सं0	पद का नाम	पे—बैण्ड	ग्रेड—पे	पदों की संख्या	नवसृजन/क्रमोन्नयन	स्वीकृति दिनांक
1	वित्तीय सलाहकार	37400—67000	8700	01	क्रमोन्नयन	17.09.13
2	वरिष्ठ उप सचिव	37400—67000	8700	02	नवसृजन	30.09.13
3	उप सचिव	15600—39100	7600	02	नवसृजन	18.06.13, 01.10.13
4	सहायक सचिव	15600—39100	6600	02	नवसृजन	18.06.13
5	निजी सचिव	15600—39100	6600	02	नवसृजन	18.06.13
6	अनुभाग अधिकारी	9300—34800	4800	04	नवसृजन	18.06.13
7	अतिरिक्त निजी सचिव	9300—34800	4800	01	नवसृजन	18.06.13
8	सहायक लेखाधिकारी—।	9300—34800	4800	01	नवसृजन	17.09.13
9	प्रोग्रामर	9300—34800	4800	03	नवसृजन	18.06.13
10	सहायक अनुभाग अधिकारी	9300—34800	4200	06	नवसृजन	18.06.13
11	शीघ्र लिपिक	9300—34800	3600	03	नवसृजन	18.06.13, 14.08.13
12	सहायक प्रोग्रामर	9300—34800	3600	02	नवसृजन	18.06.13
13	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300—34800	3600	01	नवसृजन	18.06.13
14	सूचना सहायक	5200—20200	2800	05	नवसृजन	18.06.13
15	लिपिक ग्रेड—।	5200—20200	2800	28	नवसृजन	18.06.13
16	लिपिक ग्रेड—॥	5200—20200	2400	45	नवसृजन	18.06.13
17	इलेक्ट्रिशियन	5200—20200	2400	2	नवसृजन	18.06.13, 14.08.13
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200—20200	1700	15	नवसृजन	18.06.13

- 2.8 शासन के वित्त विभाग (नियम—खण्ड) की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)एफडी(नियम) / 2013—॥ दिनांक 28.06.2013 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में सलग्न अनुसूची — । के खण्ड — 'ग' के तहत निम्नांकित पदनामों को उनके समुख अंकित पदनामों से प्रतिस्थापित किया गया :—

क्र. सं.	विद्यमान प्रविष्टि	प्रतिस्थापित प्रविष्टि
1	कनिष्ठ लिपिक	लिपिक ग्रेड—॥
2	वरिष्ठ लिपिक	लिपिक ग्रेड—।
3	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी — ॥
4	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी — ।

- 2.9 शासन के कार्मिक (क—2) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प8(2) कार्मिक / क—2 / 2002 दिनांक 23.09.13 द्वारा आयोग में स्वीकृत निम्नांकित अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :—

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	सिस्टम एनालिस्ट	01
2	सहायक सचिव	01
3	अनुभाग अधिकारी	02
4	सूचना सहायक	03
5	वाहन चालक	01

- 2.10 शासन के कार्मिक (क—2) विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प. 8 (2) कार्मिक / क—2 / 2002 दिनांक 03.02.14 के अन्तर्गत निम्नांकित अस्थाई पदों की समयावधि में दिनांक 30.06.2014 तक अभिवृद्धि किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	01
2	वरिष्ठ उप सचिव	02
3	उप सचिव	02
4	सहायक सचिव	02
5	निजी सचिव	02
6	अनुभाग अधिकारी	04
7	मूल्यांकन अधिकारी	01
8	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01
9	प्रोग्रामर	03
10	अतिरिक्त निजी सचिव	01
11	सदस्य सचिव (राज्य— पात्रता परीक्षा)	01
12	सहायक अनुभाग अधिकारी	02
13	सहायक प्रोग्रामर	01
14	कनिष्ठ विधि अधिकारी	02
15	शीघ्र लिपिक	03
16	सूचना सहायक	06
17	लिपिक ग्रेड — I	28
18	लिपिक ग्रेड — II	51
19	वाहन चालक	01
20	इलेक्ट्रिशियन	02
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17
योग :		133

संविदा आधार पर :

1	ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर	1
	योग :	1

स्वीकृति “वर्तमान में जो पद भरे नहीं हैं उन्हें छोड़कर” की शर्त सहित प्रदान की गई :—

2.11 शासन द्वारा जारी उक्त स्वीकृति दिनांक 03.02.2014 के अन्तर्गत निम्नांकित संविदा आधार पर सूजित पदों की अवधि वृद्धि के स्वीकृति के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया :—

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1	इलेक्ट्रिशियन	01
2	जनरेटर ऑपरेटर	01
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	05

2.12 शासन की स्वीकृति दिनांक 03.02.2014 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित अस्थाई पदों की समयावधि में अभिवृद्धि की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति जारी की गई :—

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	अभिवृद्धि की दिनांक
1	वाहन चालक	04	28.02.2015
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	30.06.2014

2.13 समस्त अस्थाई पदों में दिनांक 28.02.2015 तक समयावधि में अभिवृद्धि किये जाने तथा राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 03.02.2014 में वर्णित शर्त को विलोपित किये जाने का प्रकरण शासन के कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के विचाराधीन है।

2.14 आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण हुए विगत पाँच वर्षों में किये गये कार्यों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-4(ख) में दिया गया है।

3. भवन


- 3.1. आयोग—सचिवालय का कार्यालय घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर में अपने भवन में स्थित है।

4. आय—व्यय

- 4.1. आयोग की आय का मुख्य स्रोत आवेदन शुल्क है जो कि जिला ई—गवर्नेन्स सोसाइटी एवं नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाईन संग्रहित किया जाता है। आयोग के व्यय की मुख्य मदों में प्रशासनिक व्यय एवं परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा आयोजन पर होने वाला खर्च सम्मिलित है। प्रतिवर्ष राज्य के वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट फाईनलाईजेशन कमेटी की बैठक में निर्धारित किये गये प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न मद/वर्ग पर व्यय किया जाता है।
- 4.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् तथा विगत दो वर्षों के आय—व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय
2011-2012	2574.00	2678.68
2012-2013	525.00	2501.54
2013-2014	7049.62	3300.14



- 4.3 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-5 में दिया गया है।

5.	क्रम सं.	बैठकों की दिनांक
आयोग की बैठकें 5.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2 के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों-जैसे-परियाम लेने हेतु, सम्पूर्ण आयोग की 15 बैठकें	1	20-05-2013
	2	23-05-2013
	3	17-06-2013
	4	27-06-2013
	5	18-07-2013
	6	02-08-2013
	7	22-08-2013
	8	04-09-2013
	9	04-10-2013
	10	28-10-2013
	11	25-11-2013
	13	24-01-2014
	14	13-03-2014
	15	31-03-2014

6. भर्ती

- 6.1 लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन कर उपलब्ध कराना है। जहाँ तक विभिन्न सेवाओं के लिए योग्यतम व्यक्तियों के चयन का प्रश्न है, इस हेतु लोक सेवा आयोग से उच्च कार्य दक्षता, गुणवत्ता, उद्देश्यपरकता एवं पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। चयन प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करना आयोग के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है। अर्थना प्राप्ति से लेकर अभिस्तावना तक चयन के विभिन्न स्तर होते हैं। आयोग को विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। अभ्यर्थियों की लगातार बढ़ती संख्या के परिप्रेक्ष्य में नवीनतम तकनीक का उपयोग एवं बेहतर प्रबंधन आवश्यक है। अर्थना प्राप्ति से लेकर अभिस्तावना तक लगने वाले समय को कम करने के लिए आयोग द्वारा यथेष्ट प्रयास किये गये हैं। आयोग द्वारा ऑन—लाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- 6.2 आयोग द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से पूर्ण की जाती है – (प्रथम) साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से एवं (द्वितीय) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- 6.3 **साक्षात्कार बोर्ड** :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न पदों/सेवाओं के लिये 246 बोर्डों का गठन कर 3631 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये। एक एवं दो बोर्ड द्वारा क्रमशः 238 एवं 08 दिनों तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये।

(क) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :

- 6.4 शासन से अर्थनाएँ प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु लगभग 18 श्रेणी की परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, जो निम्न प्रकारेण है :–

क्रम सं	सेवाओं/पदों का नाम
1	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
2	राजस्थान वन सेवा/रेञ्जर्स (ग्रेड- ॥) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
3	सहायक अभियन्ता (सिविल / यांत्रिकी / विद्युत) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
4	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
5	प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
6	कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा
7	विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा
8	उप-निरीक्षक, आरक्षी, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
9	शीघ्रलिपिक प्रतियोगी परीक्षा

10	कनिष्ठ लेखाकार/ तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
11	मोटर वाहन उप-निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा
12	सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा
13	लिपिक ग्रेड- ।। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
14	वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
15	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड- ।। एवं ।। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
16	अध्यापक (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु)
17	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) प्रतियोगी परीक्षा, (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
18	प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)

6.5 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग को 12560 पदों हेतु 13 अर्थनाएँ प्राप्त हुई। वर्ष के प्रारम्भ में 18664 पदों हेतु 13 अर्थनाएँ विगत वर्ष की बकाया थी। इस प्रकार कुल 31224 पदों हेतु 26 अर्थनाएँ विज्ञापित की जानी थी, इनमें से 30382 पदों हेतु 14 अर्थनाएँ वर्ष के दौरान् विज्ञापित की गई। एक अर्थना (सिविल जज) जिसमें 187 पद सम्मिलित थे, शासन को लौटा दी गई। इस प्रकार 655 पदों हेतु 11 अर्थनाओं का विज्ञापन कार्य वर्ष के अन्त में लम्बित एवं प्रक्रियाधीन रहा।

क्रम संख्या	मद	अर्थनाओं की संख्या	सम्मिलित पदों की संख्या
1	विगत वर्ष/वर्षों की बकाया	13	18664
2	वर्ष के दौरान् प्राप्त	13	12560
3	योग (1+2)	26	31224
4	वर्ष के दौरान् विज्ञापित	14	30382
5	शासन को लाटाई गई	1	187
6	योग (4+5)	15	30569
7	शेष (3-6)	11	655


6.6 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, पदों की संख्या, आवेदकों की संख्या, परीक्षा में उपस्थित, साक्षात्कार लिये गये एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की सूचना, परिशिष्ट-18 में दी गई है।

- 6.7 वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है।
- 6.8 वर्ष के दौरान् आयोजित परीक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित पद/सेवा का उल्लेख निम्नानुसार है।

वर्ष 2013–14 के दौरान् आयोजित परीक्षाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पदों/सेवाओं का विवरण

क्रम संख्या	पद/सेवा का नाम
1	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (मुख्य), 2012
2	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक), 2013
3	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 (द्वितीय चरण) (ऑनलाईन)
4	लिपिक ग्रेड- ।। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (प्रथम चरण)
5	सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/कृषि) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक), 2013
6	प्रोग्रामर परीक्षा, 2013
7	शीघ्र लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2011 (द्वितीय चरण) (ऑन लाईन)
8	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड- ।। प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (विभिन्न 9 विषय)

प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
 (साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती)




- 6.9 **आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी** :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/संवीक्षा परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाए जाने के कारण 13 अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित किया गया।

(ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा :

- 6.10 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान 36 अर्थनाओं में सम्मिलित 1023 पदों के विरुद्ध भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया। उन पदों का, जिनके लिए भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया, विवरण परिशिष्ट-7(ग) मद संख्या 1 से 36 में दिया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है :—

कार्य पूर्ण किया गया		अभ्यर्थियों की संख्या		
संख्या		आवेदक	साक्षात्कार लिया गया	चयनित
अर्थनाएँ	पद सम्मिलित	36	1023	45911
				3121
				866

केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती



- 6.11 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग को Year 2629 पदों हेतु 91 अर्थनाएँ प्राप्त हुई। वर्ष के प्रारंभ में 130 पदों हेतु 11 अर्थनाएँ विज्ञापन हेतु लम्बित थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 2759 पदों हेतु 102 अर्थनाओं के विज्ञापन का कार्य किया जाना था। इनमें से 1181 पदों हेतु 27 अर्थनाएँ शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से पत्राचार किया गया। 285 पदों हेतु 03 अर्थनाएँ दोषपूर्ण होने के कारण सम्बन्धित विभागों को लौटाई गई। इस प्रकार शेष रही 42 अर्थनाओं में सम्मिलित 1293 पदों विज्ञापन जारी किये गये।

क्रम संख्या	मद	अर्थनाओं की संख्या	सम्मिलित पदों की संख्या
1	विगत वर्ष/वर्षों की बकाया	11	130
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	91	2629
3	योग (1+2)	102	2759
4	वर्ष के दौरान विज्ञापित	42	1293
5	शासन को लौटाई गई	3	285
6	योग (4+5)	45	1578
7	शेष (3-6)	57	1181


- 6.12 प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2013–14 में प्राप्त अर्थनाओं के विरुद्ध विज्ञापित पदों का विभागानुसार/वर्गवार विवरण परिशिष्ट 7 – ख में दिया गया है।

6.13 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग ने आरक्षित सूचियों से 15 अभ्यर्थियों के नाम शासन को अभिस्तावित किये, जिनका विवरण परिशिष्ट 7 – ज में दिया गया है।

6.14 अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों जिनके लिए अर्थनाएं वर्ष 2013–14 के दौरान् प्राप्त हुईं, का विवरण परिशिष्ट 7 – क में दिया गया है।

6.15 **संवीक्षा परीक्षाएँ** :— आयोग ने विभिन्न विभागों के 282 पदों हेतु आवेदकों की छँटनी करने के लिये 13 संवीक्षा परीक्षाएँ आयोजित की। आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट-7(ड) में दिया गया है।

आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ एवं प्रतियोगी परीक्षाएँ



- 6.16 विज्ञापित पदों की सूची जिनके लिये वर्ष के अन्त तक चयन का कार्य अपूर्ण रहा, की सूचना परिशिष्ट 7 – घ में दी गई है।

6.17 ऐसे पदों की सूचना जिनके लिये कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाये गये एवं ऐसे पद जिनके लिये किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, की सूचना परिशिष्ट 7 – छ एवं झ में दी गई है।

6.18 **व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) :-** दिनांक 26.08.2012 को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, 2012 का आयोजन किया गया था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.07.2013 को मॉडरेशन समिति के अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं 07 विख्यात विशेषज्ञ सदस्यों ने आयोग के समिति कक्ष में दिनांक 30.07.2013 को आयोजित मॉडरेशन समिति की मीटिंग में भाग लिया। इसके पश्चात् स्टीयरिंग कमेटी/सलाहकार समिति की मीटिंग आयोजित की गई। समिति द्वारा आयोग को सेट-2013 परीक्षा की तिथि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थानी विषय में भी उक्त परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की।

6.19 यह आयोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आयोग 29 विषयों में सेट-2013 परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। दिनांक 23.10.2013 को सेट-2013 परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई, ऑनलाईन आवेदन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2013 निर्धारित की गई। कुल 58,016 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आयोग द्वारा प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें विख्यात विषय-विशेषज्ञों ने भाग लिया।

6.20 सेट-2012 परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चाहे जाने पर अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किए गए। आयोग द्वारा भविष्य में वास्तविक प्रमाण-पत्र ई-गवर्नेन्स/कियोस्क के माध्यम से जारी किए जाने की योजना है।

6.21 चुनाव के कारण परीक्षा केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण सेट परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी। परीक्षा केन्द्रों के उपलब्ध होते ही आयोग द्वारा सेट परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित की जाएगी।

6.22 विशेषज्ञ पैनल को अद्यतन करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजे गए। कुलपतियों से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक विषय के कम—से—कम 02 विशेषज्ञों को नामंकित करें।

6.23 कई ऐसे विषय हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेट परीक्षा में जीवन विज्ञान (Life Sciences) के अन्तर्गत समाहित नहीं है। आयोग द्वारा ऐसे विषयों को चिन्हित किया गया। सदस्य सचिव (सेट) द्वारा उक्त प्रकरण व्यवितरणः उपसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखा गया। जीवन विज्ञान विषय के अन्तर्गत भविष्य में सम्मिलित करने हेतु निम्न विषय प्रस्तावित है :-

1. Master of Science in the discipline of Animal Biotechnology.
2. Master of Science Biosciences.
3. Master of Science Biosciences (Plant Science).
4. Master of Science in Bioinformatics (MSCBI).
5. Master of Veterinary Science in Animal Biotechnology.
6. Master of Science in Plant Biotechnology.
7. Master of Science Ecology and Environment.
8. M.Tech in Biotechnology.

7. भर्ती—प्रक्रिया में सुधार

- 7.1. **पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना** :- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं संवीक्षा परीक्षाओं हेतु विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना का कार्य एक सतत प्रक्रिया बन गई है। इस उद्देश्य से, आयोग द्वारा प्रतिष्ठित विषय—विशेषज्ञों को कार्यशालाओं/विचार—गोष्ठियों में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया गया।
- 7.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा निम्नलिखित 17 पदों/विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्माण, समीक्षा अथवा संरचना का कार्य गणमान्य विषय—विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया :—

क्र.सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
	व्याख्याता, स्कूल शिक्षा विभाग	
1	समाजशास्त्र	नव सृजित
2	राजनीति विज्ञान	नव सृजित
3	अर्थशास्त्र	नव सृजित
4	चित्रकला	नव सृजित
5	इतिहास	नव सृजित
6	भूगोल	नव सृजित
7	लोक प्रशासन	नव सृजित
8	हिन्दी	नव सृजित
9	संस्कृत	नव सृजित
10	राजस्थानी	नव सृजित
11	गृह विज्ञान	नव सृजित
12	दर्शनशास्त्र	नव सृजित
13	संगीत	नव सृजित
14	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग	नव सृजित
15	भू-वैज्ञानिक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग	नव सृजित
16	कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा	पुनरीक्षित
17	आहारविद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	पुनरीक्षित

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

(क) परीक्षा द्वारा भर्ती—साक्षात्कार सहित अथवा रहित :

- 8.1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी. हेतु आरक्षण दिनांक 28.9.1993 से) (विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण दिनांक 25.08.2009 से) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण क्रमशः 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत रिक्तियाँ

आरक्षित की गई है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण, वे जिस वर्ग से सम्बन्धित हैं, उस अनुपात से समायोजित की जाती है तथा यह आरक्षण क्षितिजीय माना जायेगा। (महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 07.06.1999 को जारी एवं दिनांक 01.04.1999 से प्रभावी हुई)। इसी भाँति, सीधी भर्ती में विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण रखा गया है, जो कि क्षितिजीय माना जायेगा तथा सभी श्रेणियों में से समायोजित किया जायेगा (विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 22–09–2000 को जारी तथा इसी दिनांक से प्रभावित हुई)

(ख) केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती :

- 8.2 केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती के मामले में आयोग ने निम्नानुसार अभ्यर्थी चयनित एवं अभिस्तावित किये :—

श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या					अभिस्तावित अभ्यर्थियों की संख्या				
	पुरुष	महिला	(निःशक्त—जन)		योग	पुरुष	महिला	(निःशक्त—जन) *		योग
			पु.	म.				पु.	म.	
अ.जा.	162	50	37	1	250	114	32	2	0	148
अ.ज.जा.	96	42	2	0	140	91	28	1	0	120
अ.पि.व.	121	64	0	0	185	219	64	7	0	290
वि.पि.व.	2	0	0	0	2	16	0	0	0	16
सामान्य	331	115	0	0	446	173	113	5	1	292
योग :	712	271	39	1	1023	613	237	15	1	866

*निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थी सभी श्रेणियों में से।


- 8.3 विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण परिशिष्ट 8 (क) में दिया गया है।

9. विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ

- 9.1. आयोग ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत 5288 व्यक्तियों की तदर्थ/अरथाई नियुक्तियों को नियमित करने हेतु 175 अवसरों पर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कीं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या कृषि विभाग (25), गृह विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/आयुर्वेद विभाग/खान विभाग (14) एवं पुलिस फोरेंसिक लैब (11) थीं।

- 9.2 69 अवसरों पर 2198 पदधारकों को नियमित करने हेतु पुनर्विलोकन समितियों की बैठकें भी आयोजित हुईं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/आयुर्वेद विभाग (11) एवं कृषि विभाग (07) थीं।
- 9.3 40 अवसरों पर 2129 पदधारकों को नियमित करने हेतु संवीक्षा समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं।

डी.पी.सी. द्वारा आयोजित बैठकें एवं आशार्थियों की संख्या



10. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि—वृद्धि

- 10.1. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि में वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित किये गये तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों का प्रतिवर्ष उल्लेख किया जाता है। 5 वर्ष से एवं कठिपय मामलों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से चले आ रहे तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों की स्थिति से शासन को भी इस आशय से अवगत कराया गया था कि शासन द्वारा इन मामलों को नियमित करने में तीव्रगामी

कदम लिये जायेंगे। वर्ष के दौरान् पदोन्नति द्वारा चयन करने हेतु विभागीय पदोन्नति समितियों की कई बैठकें आयोजित करने के उपरान्त भी इस वर्ष तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की स्थिति को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। ऐसी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की दीर्घकालिक मामलों की एक दृष्टान्तक सूची परिशिष्ट-9 में दी गई है।

- 10.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, सीधी भर्ती यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 287 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि—वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है।
- 10.3 इस प्रकार, ऐसे तदर्थ/अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई थी, इस वर्ष में 391 थी जबकि विगत वर्ष में ये संख्या 613 थी। आशा है कि शासन द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।
- 10.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, पदोन्नति यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 104 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि—वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है।
- 10.5 अत्यावश्यक तदर्थ नियुक्तियों के मामले में आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित करते समय, कतिपय नियुक्त प्राधिकारी, स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना सहित अर्थनाएँ निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने सम्बन्धी विशिष्ट निर्देशों के उपरान्त भी निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजने में असफल रहे। फलस्वरूप, इन प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब हुआ। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, सीधी भर्ती/पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु 06 अपूर्ण मामले, 600 व्यक्तियों से सम्बन्धित विगत वर्ष एवं 02 अपूर्ण मामले 16 व्यक्तियों से सम्बन्धित आलोच्य वर्ष में आयोग को संदर्भित किये गये। इस सूची का उल्लेख परिशिष्ट – 12 में किया गया है।

11. अनियमित नियुक्तियाँ

- 11.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् अनियमित नियुक्ति का कोई भी प्रकरण आयोग के समक्ष नहीं आया।

12. अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें

- 12.1. अनुशासनिक प्रकरण :— दिनांक 1–4–2013 को आयोग के पास 14 प्रकरण लम्बित थे। वर्ष के दौरान् 24 प्रकरण आयोग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 38 मामले हुए। आयोग ने 27 प्रकरणों पर अपना परामर्श दिया जिनमें 10 प्रकरण पूर्व वर्षों के एवं 17 प्रकरण वर्तमान वर्ष से संबंधित थे।


12.2 पूर्ववर्ती वर्षों के 14 प्रकरणों में से आयोग ने 10 प्रकरणों में अपना परामर्श दिया, 01 प्रकरण आरोपी अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण समाप्त कर दिया गया, 02 प्रकरण शासन को उचित अभिलेख हेतु लौटाए गए एवं 01 प्रकरण माननीय न्यायालय की अनुपालना करने हेतु शासन को लौटाया गया।

12.3. वर्तमान वर्ष के 24 प्रकरणों में से आयोग द्वारा 17 प्रकरणों पर परामर्श दिया गया। 01 प्रकरण जो कि डा. मनीष कुमार मलिक, पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंधित था शासन के पत्र दिनांक 01.01.2014 के क्रम में शासन को लौटाया गया।

12.4 वर्तमान वर्ष के 04 प्रकरण जिन पर माह अप्रैल, 2014 में आयोग द्वारा परामर्श दिया गया, वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शाया जाना है।

12.5 इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 31 प्रकरणों पर आयोग का परामर्श दिया गया।

12.6 वर्ष के अन्त में आयोग के पास 02प्रकरण परामर्श हेतु लम्बित थे जिनमें से 01 प्रकरण पर शासन से स्पष्टीकरण चाहा गया था एवं 01 प्रकरण आयोग के विचाराधीन था।



12.7 अपील/पुनर्विलोकनार्थ विभागीय जाँच के प्रकरण :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, विभागीय जाँच के पुनर्विलोकन का कोई प्रकरण आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। अपील सम्बन्धी कोई मामला भी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ।

12.8 वाद/याचिकाएँ :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, विगत वर्षों के 2880 तथा इस वर्ष के 1060 प्रकरण मिलाकर कुल 3940 प्रकरण सिविल वाद/परिवाद/याचिकाएँ/अपीलें/डी.बी. सिविल विशेष अपीलें/एस.एल.पी. आदि जो कि सिविल न्यायालयों/उच्च न्यायालय/सेवा प्राधिकरण/उच्चतम न्यायालय/राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग/जिला उपभोक्ता मंचों आदि में दायर किये गये थे, लम्बित थे। न्यायालयों द्वारा कुल 915 वाद आलोच्य वर्ष में निर्णीत किये गये। इस प्रकार कुल 3025 प्रकरण न्यायालय के निर्णय हेतु विचाराधीन रहे।


13. सेवा नियम

13.1 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न सेवा नियमों से सम्बन्धित 492 नियमों/अनुसूचियों के प्रारूप संशोधन आयोग को उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किये गये थे, इन सभी 492

प्रारूप संशोधनों पर टिप्पणी कर पुनः शासन को प्रेषित कर दिये गये। इसका विवरण परिशिष्ट – 13 में दिया गया है।

- 13.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने 05 नवीन सेवा नियमों के प्रारूपों का भी परीक्षण कर निस्तारण किया, इनका उल्लेख भी परिशिष्ट–14 में किया गया है।
- 13.3 शासन ने 44 नवीन सेवा नियम एवं सेवा नियम/विनियमों में संशोधन प्रख्यापित किये, जिसका विवरण परिशिष्ट–15 में दर्शाया गया है।
- 13.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग द्वारा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र/परीक्षा की मान्यता हेतु 01 प्रकरण निस्तारित किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट–17 में दर्शाया गया है।
- 13.5 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध–सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी 01 प्रकरण आयोग को उनकी सहमति हेतु प्राप्त हुआ। इस प्रकरण का संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया गया एवं वर्ष के अन्त तक शासन से पत्र व्यवहार जारी था। इस प्रकरण का विवरण परिशिष्ट–16 में दिया गया है।
- 13.6 इसके अतिरिक्त प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत लिपिक ग्रेड II के 200 रिक्त पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने संबंधी प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण सम्पूर्ण आयोग की बैठक में आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।
- 13.7 आयोग के विचार उपरान्त यह निश्चय किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में लिपिक ग्रेड II के 200 रिक्त पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने के संबंध में सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की जाए एवं आयोग के पत्र दिनांक 11.10.2013 के द्वारा कतिपय शर्तों सहित सहमति से शासन को अवगत कराया गया।
- 13.8 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासन के कार्मिक विभाग ने राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं नैचुरोपैथी सेवा नियम, 1973 में संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 13.05.2013 एवं 19.06.2013 जारी की। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में भी संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 13.05.2013 जारी की।
- 13.9 आयोग द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं नैचुरोपैथी सेवा नियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधन पर अपनी आंशिक सहमति प्रदान की गई। आयोग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन के संबंध में अपनी सहमति देने से पत्र दिनांक 08.01.2014 द्वारा इनकार कर दिया गया।
- 13.10 आयोग द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.01.2014 द्वारा उक्त अधिसूचना जारी करने के कारणों के बारे में शासन से पूछा गया परन्तु प्रतिवेदनाधीन की समाप्ति तक शासन का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था।

नियमों/अनुसूचियों में संशोधनों की संख्या



- 14.1 यह संतोष का विषय है कि आलोच्य वर्ष के दौरान् शासन द्वारा आयोग के परामर्श की अस्वीकृति का कोई भी प्रकरण आयोग की जानकारी में नहीं आया ।

15. विविध

अन्तराष्ट्रीय यात्राएँ

15.1 दिनांक 08.12.2013 से 11.12.2013 तक श्री शिवनंदनदास संगकर, माननीय अध्यक्ष एवं श्री अविनाश कुन्नीया, सचिव, पब्लिक एण्ड डिसिप्लीन्ड फोर्सेज़, मॉरीशस द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति एवं परिणाम प्रक्रिया तथा आयोग द्वारा स्थापित मानदण्डों के अध्ययन हेतु आयोग का भ्रमण किया ।

अध्यक्ष एवं सदस्य—गण की यात्राएँ :—

- 15.2 डा. एच.के. गौराण, माननीय अध्यक्ष, ने दिनांक 30.01.2014 एवं 31.01.2014 को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई द्वारा नागपुर में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की नेशनल कॉन्फ्रेन्स की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया ।
- 15.3 डा. एच.के. गौराण, माननीय अध्यक्ष, ने दिनांक 28.02.14 एवं 01.03.14 को हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की 16वीं नेशनल कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया ।
- 15.4 श्री के.एस. तोमर, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला ने दिनांक 12.07.2013 एवं 10.02.2014 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.5 डा. दुर्गाशरण चन्द्रा, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ने दिनांक 29.07.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.6 श्री सुधीर ठाकरे, माननीय अध्यक्ष एवं श्री राजेन्द्र मंगरूलकर, सचिव, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई द्वारा दिनांक 22.11.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.7 श्री नुरुल हक़, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग, कोलकत्ता द्वारा दिनांक 04.03.2014 से 06.03.2014 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.8 श्री के.एम. वानी, माननीय सदस्य, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू द्वारा दिनांक 06.03.2014 से 08.03.2014 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.9 ब्रिगेडियर आर. बोरटाकुर, माननीय सदस्य, असम लोक सेवा आयोग, गुवाहाटी द्वारा दिनांक 18.03.2014 से 20.03.2014 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार—विमर्श किया ।
- 15.10 दिनांक 22.07.13 से 24.07.13 तक गुजरात लोक सेवा आयोग, अहमदाबाद से 04 अधिकारियों के दल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली एवं ऑनलाइन आवेदन सिस्टम का अध्ययन करने हेतु तीन दिन आयोग का भ्रमण किया ।
- 15.11 पुस्तकालय :— आयोग में स्वयं का पुस्तकालय है । विषय—विशेषज्ञों, परीक्षकों एवं आयोग के स्टॉफ के लिये बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएँ, एन्साइक्लोपीडिया, समाचार—पत्र आदि उपलब्ध होना, इस पुस्तकालय की समृद्धि का सूचक है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 2013–14 में उपलब्ध संख्या		
1.	कुल पुस्तकें	18655
2.	बाउण्ड पीरियोडिकल्स	7095
3.	जर्नल्स	19
4.	सामान्य मैगेजिन्स	23
5.	समाचार—पत्र	13

- 15.12 ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र :

राजस्थान लोक सेवा आयोग को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिनांक 22.06.2011 को Quest Certification (P) Ltd. Accredited by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand द्वारा ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला गुजरात लोक सेवा आयोग के बाद देश का दूसरा लोक सेवा आयोग है।

15.13 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” का क्रियान्वयन – प्रतिवेदन :- “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2013 को 986 प्रार्थना-पत्र लम्बित थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ चाहने हेतु आयोग द्वारा 4169 प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए गए। इस प्रकार, कुल प्रार्थना-पत्र 5155 हुए। आयोग द्वारा 4940 प्रार्थना-पत्र निस्तारित किए गए अर्थात् 3540 प्रार्थना-पत्र पर सूचना दी गई एवं 1400 प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में 215 प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित रहे।

15.14 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण :-

क्र.सं.	विवरण	प्रथम अपील	द्वितीय अपील	योग
1	गत वर्ष (2012–13) की लम्बित अपीलें	63	255	318
2	वर्तमान वर्ष (2013–14) से सम्बन्धित अपीलें	440	142	582
योग :		503	397	900
3	वर्तमान वर्ष के दौरान अपीलों का निस्तारण	449	185	634
4	लम्बित अपीलें शेष रही	54	212	266

15.15 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत फीस के रूप में राशि रूपये 91,638/- प्राप्त हुई।

15.16 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, दिनांक 01.04.2013 को निःशक्त जन अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के पास 04 अपीलें लम्बित थीं तथा 20 अपीलें वर्ष के दौरान प्राप्त हुई। इस प्रकार, कुल 24 अपीलें हुई। आयोग द्वारा 22 अपीलें निस्तारित की गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 02 अपीलें विचारार्थ लम्बित रहीं।

15.17 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 01.04.2013 को राजस्थान सूचना आयोग के अन्तर्गत आयोग के पास 08 अपीलें लम्बित थीं तथा 02 अपीलें वर्ष के दौरान प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 10 अपीलें हुई। आयोग ने 09 अपीलों का निस्तारण किया। वर्ष के अन्त में 01 अपील आयोग के पास विचारार्थ लम्बित रहीं।

15.18 आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किये गये नवाचारों का विवरण :-

सूचना प्रौद्योगिकी पहल एवं गतिविधियाँ 2013–14

(1). सूचना प्रौद्योगिकी की ओर आयोग का लक्ष्य एवं गतिविधियाँ

- एक सरल एवं सहज ऑनलाईन आवेदन प्रणाली (एकल खिड़की, समुचित सूचना युक्त, एस.एम.एस./ई-मेल एवं अन्य मीडिया द्वारा समुचित पावती सुविधा, नागरिक सुविधा केन्द्रित दृष्टिकोण) अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न चरणों की प्रस्थिति संबंधी सम्वर्धित सुविधाओं से युक्त ऑनलाईन पोर्टल।
- वर्ष 2012–2013 में ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क का लगभग 1000 तक विस्तार।
- सोशल नेटवर्किंग यथा फेसबुक, ट्विटर, गूगल कलेन्डर के साथ एकीकृत, पाठ्यक्रम, पुराने प्रश्न-पत्र, उत्तर-कुंजी, आगामी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार की सूचना संयुत एक समृद्ध इन्टरेक्टिव वेबसाइट।
- ऑनलाईन परीक्षा मॉक टेस्ट, दिशा-निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी आयोग के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।
- मोबाईल सर्विस डिलीवरी गेटवे के उपयोग के साथ आयोग से संबंधित एस.एस. एकीकरण गतिविधियाँ।
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एकीकृत नेट-बैंकिंग सुविधा द्वारा ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने की सुविधा। यह सुविधा दिनांक 07.03.2013 से लागू की गई।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग / गतिविधियाँ :-

- एस.एम.एस. आधारित परीक्षा केन्द्र सूचना प्रणाली – आयोग द्वारा साधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित मोबाइल एप्लीकेशन के प्रयोग द्वारा किया गया यह एक अभिनव प्रयोग है। यह एक मोबाइल आधारित व्यवस्था है जो परीक्षा केन्द्रों से सूचना एकत्रित करती है एवं आवश्यकता अनुरूप परीक्षा केन्द्रों को सूचना उपलब्ध कराती है।
- विभागीय पदोन्नति समिति निगरानी – ऑन-लॉगिन पासवर्ड द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति निगरानी व्यवस्था के अन्तर्गत नामांकित सदस्य एवं पदोन्नति समिति की प्रस्थिति एवं विभिन्न सूचनाएं संबंधित विभाग इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
- विशेषज्ञ मानदेय भुगतान प्रबंधन व्यवस्था – आयोग द्वारा विभिन्न गोपनीय कार्यों हेतु आमंत्रित विषय-विशेषज्ञों के पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया की विभिन्न उपयोगी सूचनाओं सहित कम्प्यूटरीकृत ऑन-लाईन व्यवस्था।
- संसाधन सहभागिता प्रणाली – आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियम, प्रारूप, विज्ञापन, सम्पूर्ण आयोग की बैठकों के निर्णय, इत्यादि की कम्प्यूटरीकृत ऑन-लाईन उपलब्धता।
- ऑन-लाईन परीक्षा : ऑन-लाईन टाईप टेस्ट सहित लगभग 20 ऑन-लाईन परीक्षाएं अब तक आयोजित की जा चुकी हैं।

आयोग को प्राप्त सम्मान

क्रम सं.	वर्ष	अवार्ड विवरण	द्वारा प्रदत्त	उद्देश्य
1	2006	नेतिक सम्मान	गुलजारी लाल नंदा फाउन्डेशन	अखंडता एवं निष्पक्षतावाद हेतु
2	2010	ISO 9001:2008		क्षमता हेतु
3	2011	राजस्थान ई-गवर्नेन्स चैम्पियन अवार्ड	आई.टी. एवं सी. विभाग, राजस्थान सरकार	ऑन-लाईन आवेदन एवं शुल्क हेतु
4	2012 (15.11.2012)	ई-इण्डिया पब्लिक चॉइस अवार्ड	ई-लेट्स इण्डिया	ऑन-लाईन आवेदन हेतु (शासन से नागरिक वर्ग के अन्तर्गत)
5	2013 (11.02.2013)	नेशनल ई-गवर्नेन्स गोल्ड अवार्ड	प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार	भारत की श्रेष्ठ सरकारी पोर्टल हेतु
6	2013	वित्तीय समावेश एवं भुगतान प्रणाली (फिपस) अवार्ड	ई-लेट्स इण्डिया	अभ्यर्थियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली हेतु
7	2014 (14.03.2014)	सिक्योर आई.टी. अवार्ड		अभ्यर्थियों से ऑनलाईन सुरक्षित भुगतान प्रणाली हेतु

16. अभिस्वीकृति

- 16.1 राज्य सरकार, विभिन्न विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों, क्षेत्रीय / जिला नियोजन अधिकारियों तथा अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा आयोग के कार्य सम्पादन में प्रदत्त सहायता एवं सहयोग को आयोग स्वीकार करता है।
- 16.2 निजी शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों एवं प्राधिकारियों द्वारा आयोग को विभिन्न परीक्षाओं के आयोजनार्थ प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के प्रति आयोग अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।
- 16.3 आयोग अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा प्रदत्त निष्ठापूर्ण एवं दक्ष सेवाओं के लिए भी अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।

परिशाष्ट

परिशिष्ट – 1

आयोग के कृत्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लिखित प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं ।

लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त अनुशासनिक विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि—कार्यवाहियों में जो व्यय उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है, वह यथा स्थिति राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिए दावे पर तथा ऐसी ही दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर; एवं

(च) अन्य कोई मामला, जो शासन द्वारा संदर्भित किया जावे ।

सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं नियुक्ति दिये जाने के सिद्धान्तों को अपनाए जाने हेतु या इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या ऐसी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । जब तक सेवा में किसी भी पद की भर्ती के लिये सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान निहित है तब ही उस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी —

(1) मंत्रालयिक सेवा में या

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के अनुसार अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में चाहे तकनीकी या गैर—तकनीकी जिसके प्रारंभिक वेतन के रूप में ग्रेड वेतन 3600/- रूपये प्रतिमाह या उससे कम है ।

परिशिष्ट – 2

आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य—गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण

1. डॉ. हबीब खान गौराण, भा.पु.से. (से.नि.) :– (एम. एस.सी., पी.एच.डी.)

डॉ. हबीब खान गौराण का जन्म 15 अगस्त, 1957 को कस्बा डीडवाना, जिला नागौर में स्व. श्री भैंवर खान जी के घर में हुआ था। प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि के बल पर हर कक्षा में प्रथम रथान प्राप्त करते रहे। आपने स्नातक उपाधि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना से प्राप्त कर स्नातकोत्तर उपाधि एम.एस.सी. (भूगर्भ शास्त्र), उदयपुर से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। आपका वर्ष 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर चयन हुआ एवं आपने लगभग 4 वर्ष तक वहाँ अध्यापन कार्य किया।

वर्ष 1982 में आपका चयन राजस्थान पुलिस सेवा में हुआ एवं आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान् वर्ष 1983 में सर्वोत्तम केडेट का पुरस्कार (स्वॉर्ड ऑनर) प्राप्त किया।

आपने अपने 30 वर्ष के सेवा काल में उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के पदों की जिम्मेदारी अति उत्तमता से निभाते हुए अत्यन्त सहनशील, कर्मठ एवं निष्ठावान पुलिस अधिकारी का परिचय दिया। इनके अत्यन्त सराहनीय कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा 200 से अधिक ईनाम मिले एवं 03 बार इन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 1988, स्वतंत्रता दिवस 1993 एवं गणतंत्र दिवस 1994 को पुरस्कृत किया गया।

डॉ. गौराण उच्चतम श्रेणी के अनुसंधानकर्ता हैं। इन्होंने कई हत्याओं, डकैतियों, लूट एवं चोरियों की वारदातों का पर्दाफाश किया। राजधानी जयपुर में घटित तिब्बती लड़की से बलात्कार प्रकरण को सुलझाकर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। इनके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों से बहुत से अपराधियों को आजीवन कारावास की सजायें हुई हैं।

बगरु थाने के इलाके में 52 लाख की सिगरेट डकैती काण्ड में डाकुओं का पता लगाकर डाकुओं को गिरफ्तार किया। इनके इस असाधारण कार्य पर राज्य सरकार ने इन्हें शौर्य की प्रतीक 12 बोर गन एवं प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया।

आपने साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामंजस्य बनाये रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पाली, जोधपुर, जयपुर, चूरू, बूंदी एवं बीकानेर में विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं में सकारात्मक भूमिका निभाई जिससे शांति स्थापित हुई।

डॉ. गौराण एक कर्मठ, निष्पक्ष, निष्ठावान एवं अति उत्तम श्रेणी के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न कार्यों में अपनी निष्ठा, निष्पक्षता एवं क्षमता का परिचय दिया है। इनकी इन उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप गणतंत्र दिवस 2001 पर इन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

डॉ. गौराण वर्ष 2009 में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हुए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. जोधपुर, बूंदी व बीकानेर जिले के पदों पर रहकर सराहनीय कार्य किये। इनकी छवि एक लोकप्रिय, पारदर्शी एवं कुशल पुलिस अधिकारी की रही है।

माह नवम्बर, 2011 में इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग का माननीय सदस्य नियुक्त किया गया।

दिनांक 19.11.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 31.08.2012 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

2. श्री शिवपाल सिंह नांगल :— बी. कॉम, एलएल.बी. तथा श्रम विधि एवं कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा ।

अनुभव :—

1 अधिवक्ता (38 वर्ष)

2 राजस्थान विश्वविद्यालय (वाणिज्य संकाय), जयपुर में छात्रसंघ अध्यक्ष (कॉर्मस कॉलेज) वर्ष 1973–74 में रहे ।

3 अन्तर विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता, मद्रास में वर्ष 1976 में आयोजित के विजेता रहे ।

4 संभागीय रेल उपयोग कर्ता सलाहकार समिति के वर्ष 1995–96 में सदस्य रहे ।

5 भवानी निकेतन (शिक्षा समिति) शिक्षण संस्थान एवं चैरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर में वर्ष 1997–2000 में उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2001–2003 में अध्यक्ष रहे ।

विशेष विवरण :—

समाज सेवा, धार्मिक मन्दिर एवं ट्रस्टों के सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों (गैर सरकारी संगठन) (एन.जी.ओ.) का संचालन किया एवं उनसे सम्बद्ध रहे ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 13.11.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद से त्याग–पत्र दे दिया ।

3. श्री कन्हैया लाल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) :— एम.कॉम. (लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी)

अनुभव :—

- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर में चार वर्ष तक सेवाएँ प्रदान की ।
- दिसम्बर, 1982 में राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यग्रहण किया तथा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं सर्वाईमाधोपुर में प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रहे :—

1 सहायक समादेष्टा, आर.ए.सी.	जून, 1985 से जून, 1986
2 उप अधीक्षक, जैसलमेर	जून, 1986 से मई, 1988
3 उप अधीक्षक, जयपुर	मई, 1988 से दिसम्बर, 1989
4 उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर	जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990
5 उप अधीक्षक, अजमेर	जनवरी, 1991 से मार्च, 1993
6 उप अधीक्षक, अलवर	अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993
7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, भरतपुर	अक्टूबर, 1993 से अप्रैल, 1994
8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1997
9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर सिटी	सितम्बर, 1997 से सितम्बर, 1998
10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	सितम्बर, 1998 से जुलाई, 2000
11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा (टॉक)	जुलाई, 2000 से जून, 2003
12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	जून, 2003 से अगस्त, 2004
13 सतर्कता आयुक्त, जे.एन.एन., जयपुर	अगस्त, 2004 से फरवरी, 2006
14 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण)	फरवरी, 2006 से मार्च, 2007

दिनांक 24.01.2007 को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हुई ।

15 पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा 11.04.2007 से 18.04.2008

पारितोषिक :—

- 1 वर्ष 1988 में, महामहिम राज्यपाल द्वारा गन प्रदान की गई ।
- 2 स्वाधीनता दिवस, 2003 के अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

4. प्रो. पी. के. दशोरा :— (एम.एससी., पीएच.डी.)

अनुभव —

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में अध्यापन एवं अनुसंधान का 28 वर्ष का अनुभव ।

रुचिकर विषय :—

डिजाइन ऑफ एक्सपरीमेन्ट्स, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांख्यिकीय पद्धतियाँ, साइकोमेट्रिक्स, आर्थिक सांख्यिकी, रिसर्च मेथोडोलोजी ।

प्रशासनिक अनुभव एवं अन्य कार्य :—

- (i) सह अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (ए.डी.एस.डब्ल्यू) राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (जुलाई, 1994 से जनवरी, 1999) ।
- संयुक्त सचिव — ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (रुद्रा) एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन (1999—2004) ।
- उपाध्यक्ष —ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (रुद्रा) एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन (1999—2004) ।
- सचिव — कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर शिक्षक संघ (2001 से)
- (ii) समन्वयक, प्लेसमेन्ट एण्ड इन्फोर्मेशन ब्यूरो, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अक्टूबर, 2000 से नवम्बर, 2005) पाँच वर्ष तक ।
- (iii) छात्र कल्याण अधिकारी, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) दो वर्ष तक ।
- चेयरमैन, स्पोर्ट्स बोर्ड, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- (iv) विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, कृषि सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, आर.सी.ए., एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (जनवरी, 2004 से जुलाई, 2008) ।
- (v) सदस्य—विश्वविद्यालय पेन्शन, पी.एफ., विश्वविद्यालय आवास आवंटन, विश्वविद्यालय नियम संरचना समितियाँ (2000 से 2008) ।
- (vi) अधीक्षक, विवेकानन्द, पी.जी. हॉस्टल, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (मई, 1992 से जुलाई, 1994) तीन वर्ष तक ।
- (vii) तीन वर्ष यथा 2005, 2006 तथा 2008 के लिए, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।
- विदेशी छात्रों के सलाहकार, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (वर्ष 2007 से जुलाई, 2008) ।
- सचिव — भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर (एक गैर सरकारी संगठन, जो उदयपुर सभ्बाग में 80 स्कूलों संचालित कर रहा है) ।
- सदस्य — विकास समिति, राजकीय मीरा महिला महाविद्यालय, उदयपुर ।
- (viii) वर्ष 2007 से 2008 के लिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।
- (ix) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गठित विभिन्न समितियों के संयोजक/सदस्य रहे ।
- (x) सदस्य (राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत) — प्रबन्धन मंडल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (2006 से 2008) ।
- (xi) सदस्य — अकादमिक परिषद्, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (2004 से 2008) ।
- (xii) सदस्य — राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (2004 से 2008) ।
- (xiii) वर्ष 2006 से 2008 के लिए, भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामनगर, पाली के प्रबन्धन मंडल के विश्वविद्यालय के मनोनीत सदस्य एवं चयन समिति के सदस्य रहे ।
- (xiv) संयोजक, चैप्टर राईटिंग टीम (मिशन एण्ड गोल्स चैप्टर), फॉर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, आर.सी.ए., उदयपुर (2004) ।
- (xv) सदस्य— राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषि विज्ञान पर गठित सलाहकार समिति, (2006—2008) ।
- (xvi) सदस्य — राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय के पेन्शन फण्ड की स्थिति एवं पेन्शन फण्ड के सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित समिति (2006) ।

- (xvii) सदस्य – श्रमिक शिक्षा मंडल (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) क्षेत्रीय समिति, उदयपुर (2006–2008)।
- (xviii) सदस्य – गोआ, केरेला, हरियाणा एवं सी.बी.एस.सी. में सैकेण्डरी स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम का अध्ययन करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा गठित समिति (2007)।
- (xix) अकादमिक प्रतिनिधि— प्रबंधन मंडल एवं प्रकाशन मंडल, राजस्थान खेती, निदेशालय विस्तार शिक्षा, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा प्रकाशित (2004–2006)।
- (xx) सह-अध्यक्ष, प्रोग्राम एवं कॉम्पीटीशन समिति, एग्रीयूनीफेस्ट (2007)।
- (xxi) सदस्य— विकास समिति, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर (2006–2008)।
- (xxii) सदस्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नामित, जीवन कौशल शिक्षा की पुस्तकों के प्रारूप का अंतिम रूप देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति (2007)।
- (xxiii) संयोजक, सोवीनियर, सी.एस.यू., एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (2000–2001)।
- (xxiv) सदस्य— कम्प्यूटर केन्द्र के प्रभावशाली क्रियान्वयन एवं कम्प्यूटर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बिन्दुओं की संरचना संबंधी कार्य हेतु गठित समिति (2000)।
- (xxv) सदस्य— एन.सी.सी./एन.एस.एस., एन.एस.डब्ल्यू. गतिविधियों को एक क्रेडिट ऑवर पाठ्यक्रम बनाने संबंधी मापदण्डों के निर्माण हेतु गठित समिति (2000)।
- (xxvi) अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सुझाव देने हेतु दिनांक 02.12.2010 को गठित समिति (आदेश क्रमांक : प.6(65)प्र.सु./अनु.-3/2010)।
- (xxvii) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पदों को छोड़कर अन्य सेवाओं में प्रचलित परीक्षा प्रणाली यथा सिलेबस, प्रश्न-पत्रों की संख्या व इसके प्रकार, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंकों का प्रावधान इत्यादि का अध्ययन कर सुझाव एवं विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली परीक्षा प्रणाली का अध्ययन कर रिपोर्ट देने हेतु आदेश क्रमांक : प.6(30)प्र.सु./अनु.-3/2011 दिनांक 05.08.2011 द्वारा गठित समिति।

प्रकाशन :-

● शोध पत्र	:	79
● सारांश	:	102
● तकनीकी/अन्य लेख	:	10
● पुस्तकों में प्रकाशित अध्याय	:	06
● रेडियो प्रसारण	:	10
● सम्पादित पुस्तकें	:	04
● विभिन्न पत्रिकाओं के सम्पादक रहे	:	09
(मुख्य सम्पादक, विश्वविद्यालय मेंेजेजिन 01, मुख्य सम्पादक, वार्षिक न्यूजलेटर—आर.सी.ई.ए.एम. 01, सदस्य, सम्पादक मण्डल, कॉलेज मेंेजीन 07)		
● सम्पादक रिसर्च जरनल्स	:	04
● सम्पादक (लेक्चर नोट्स)	:	01
(विन्टर स्कूल ऑन एडवान्सेज इन डिजाइन ऑफ एक्सप्रेसेन्ट्स)		
● टीचिंग/रेफरेन्सेज मेन्युअल्स	:	02
(स्टेटिस्टिकल मेथड्स 01, तथा आर्थिक-सांख्यिकी 01)		
● विशेष व्याख्यान	:	32
● ग्रीष्म एवं शरद स्कूल में उपस्थिति	:	04

एम.एस.सी./पीएच.डी. सलाहकार :-

(क)	प्रमुख सलाहकार	
(1)	पीएच.डी. (सांख्यिकी)	: 01
(2)	विपणन प्रबन्धन में डिप्लोमा	: 18
(ख)	सदस्य सलाहकार समिति	
(1)	पीएच.डी. (कृषि)/पीएच.डी. (कृषि अभियांत्रिकी)/पीएच.डी. (गृह विज्ञान)	: 450 (लगभग)
(2)	एम.एस.सी. (कृषि)/(कृषि अभियांत्रिकी)/गृह विज्ञान/डेयरी विज्ञान	: 650 (लगभग)

पुरस्कार एवं सम्मान :-

अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार : इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एज्यूकेशन फॉर वर्ल्ड पीस (आई.ए.ई.डब्ल्यू.पी.), यू.एस.ए., कॉमनवेल्थ ट्रेडिंग फॉर एडल्ट्स (सी.ए.इ.टी.ए.), यू.के. द्वारा इन्टरनेशनल फेलिसिटेशन एण्ड इन्टरनेशनल अवार्ड इन हॉलिस्टिक डेवेलपमेन्ट ऑफ यूथ एण्ड एज्यूकेशनल लीडरशिप। दिनांक 10 फरवरी, 2003, को ब्रुनो ग्रोनिंग स्कूलिंग एण्ड सोमिनार ऑन इन्टरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, 2003, यू.एन.ओ. 2003 के अवसर पर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी मिलान एण्ड सर्किल फॉर स्प्रिंग्युअल एड टू लाइफ इन्डिया, गाँधीनगर (गुजरात) द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार :-

- 1 **फेलोशिप अवार्ड** – राजस्थान कौसिल ऑफ एज्यूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट (कॉमनवेल्थ कौसिल ऑफ एज्यूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट से सम्बद्ध)।
- 2 **एप्रीशिएशन अवार्ड** – कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम एशिया सेन्टर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया एण्ड एन.एस.एस. यूनिट राजस्थान फॉर आउटस्टेंडिंग कंट्रिब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर एशिया रीजन।
- 3 इण्डियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट, उदयपुर – चेप्टर अवार्ड फॉर एन्हांसिंग एकेडेमिक एक्सीलेंस इन यूथ ऑन 19 मार्च, 2004।
- 4 दिनांक 01.05.2004 को, भारतीय शिक्षण मण्डल, उदयपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पब्लिक फेलिसिटेशन पुरस्कार।
- 5 वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह पर माननीय वाइस चांसलर, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
- 6 वर्ष 2002 में राजभाषा हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय वाइस चांसलर, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।
- 7 वर्ष 2003 में, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में, हिन्दी रिसर्च पोस्टर के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 8 आई.सी.एन., मुरादाबाद (यू.पी.), 1993 द्वारा किलनिकल न्यूट्रीशन पर आयोजित चतुर्थ विश्व कॉग्रेस की सेटेलाइट मीटिंग में सुब्बाराव मेमोरियल अवार्ड, 1993 के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे।
- 9 वर्ष 1995 में बम्बई में आयोजित न्यूट्रीशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया की 28वीं वार्षिक मीटिंग में सामुदायिक पोषाहार पर जूनियर अवार्ड के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे।

वैज्ञानिक / व्यावसायिक समितियों की सदस्यता :-

- 1 आजीवन सदस्य – भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास समिति।
- 2 आजीवन सदस्य – भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति।
- 3 आजीवन सदस्य – भारतीय चिकित्सा सांख्यिकी समिति।
- 4 आजीवन सदस्य – राजस्थान शिक्षा विस्तार समिति।
- 5 आजीवन सदस्य – कम्प्यूटर तथा एप्लीकेशन्स सांख्यिकी समिति।
- 6 आजीवन सदस्य – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों के संस्थापक।
- 7 आजीवन सदस्य – विद्या भारती (अखिल भारतीय शैक्षणिक समिति)।
- 8 आजीवन सदस्य – भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर।
- 9 आजीवन सदस्य – राजस्थान शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन परिषद।
- 10 आजीवन सदस्य – व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर समिति, हिसार।
- 11 आजीवन सदस्य – राजस्थान सांख्यिकी एसोसियशन।
- 12 आजीवन सदस्य – एलयूमनी एसोसियशन, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

व्यावसायिक निकायों के पदाधिकारी :-

- सदस्य – कार्यकारी निकाय, भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति (वर्ष 1999 से 2002)
- संयुक्त सचिव – भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास समिति, उदयपुर चैप्टर (2000)।
- सचिव – भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर (जुलाई 1997 से)।
- संयुक्त सचिव – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 1998 से 2004)।
- उपाध्यक्ष – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 2004 से निरन्तर)
- संयुक्त सचिव – राजस्थान शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन परिषद्, राजस्थान (वर्ष 2004 से)।
- सचिव – कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर शिक्षक संघ (वर्ष 2000–2008)।
- अधिशाषी सदस्य – भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति, नई दिल्ली (वर्ष 1999 से 2002)।
- सदस्य, अधिशाषी समिति – सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन सोसायटी, नई दिल्ली (वर्ष 2003 एवं 2004)।
- सदस्य, अधिशाषी समिति – व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हिसार (वर्ष 2007–2008)।

शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में भागीदारी :-

- एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर के लिए सांख्यिकी में अध्ययन मंडल/ पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।
- सामाजिक विज्ञानों के लिए साइकोमेट्रिक्स एण्ड सेम्प्लिंग टेक्निक्स नामक शीर्षक से अधि स्नातक पाठ्यक्रम विकसित किया।
- छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु व्याख्यान मालाएँ विकसित की।

छात्र गतिविधियों में वृहद् योगदान :-

- मैनेजर – वर्ष 1987 के दौरान् आयोजित पश्चिम क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय टीम।
- अन्तरविश्वविद्यालय युवा महोत्सवों के आयोजन में सक्रिय रहे।
- समन्वयक – वर्ष 1999 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में आयोजित एन.एस.एस. के राष्ट्रीय एकता केम्प।
- संयोजक – वर्ष 1998–99 से 2003–04 तक, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता।
- समन्वयक – वर्ष 1997 में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर राज्य स्तरीय किंवज़ प्रतियोगिता।
- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रकृति क्लब स्थापित किया, जिससे छात्रों को विभिन्न प्रकार के केरियर्स एवं व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों के लिए मंच उपलब्ध कराया।
- समन्वयक – क्षेत्र की काँग्रेस घास के उन्मूलन हेतु राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर की एन.एस.एस. इकाई द्वारा, प्रारम्भ किए गए सामुहिक जन जागरण कार्यक्रम।
- संयोजक – एम.पी.ए.यू.टी., उदयपुर द्वारा आयोजित एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित, अखिल भारतीय अन्तरराज्यीय कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव (एग्रीयूनिफेर्स्ट – 2004)।
- समन्वयक – युवा संसद प्रतियोगिता, 2006, जिसमें एम.पी.यू.ए.टी. की टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही।

दिनांक 04.07.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

5. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर :— (बी.कॉम., एलएल.बी.)

उत्कृष्टता का क्षेत्र –

- अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायालय (08.10.1977 से 30.06.2008) – 31 वर्ष का अनुभव।
- सर्च कमेटी (राजकीय मनोनित), महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) (वर्ष 2008–2009)।
- महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष, वर्ष 2013।
- महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) के कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष, वर्ष 2012 से 2013।

अनुभव / उपलब्धियाँ—

- अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायालय (08.10.1977 से 30.06.2008) – 31 वर्ष का अनुभव।
- समाजिक कार्य एवं शैक्षिक उत्थान संबंधी कार्य।
- पूर्व प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान संघ, राजस्थान (गैर-राजनीतिक संगठन) 1984 से 1992।
- पूर्व कार्यकारी सदस्य, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, नई दिल्ली, वर्ष 1992 से 2007 तक (सामाजिक संगठन)।
- पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान गुर्जर महासभा वर्ष 1992 से 2007 तक (सामाजिक संगठन)।
- पूर्व महामंत्री, राजस्थान गुर्जर महासभा वर्ष 1978 से 1993 तक (सामाजिक संगठन)।

दिनांक 04.07.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

6. डा. आर.डी. सैनी :— एम.ए. (हिन्दी), पी.एच.डी.

- डॉ आर.डी.सैनी का जन्म 13 अप्रैल 1957 को पिलानी जिला झुंझुनू, राजस्थान में हुआ था। उनकी स्कूल शिक्षा बिड़ला हायर सेकेण्डरी स्कूल पिलानी में हुई और बी.ए. (ऑनर्स) एम.ए. (हिन्दी साहित्य) एवं पी.एच.डी. की डिप्ली के लिए उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की थी।
- डॉ सैनी 18 वर्ष तक विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययन कर चुके हैं। इसी दौरान वे चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा के प्रिन्सीपल रहे थे। मोहता इस्टीट्यूट ऑफ फोकलोर रिसर्च सादुलपुर (चुरू) राजस्थान के मानद निदेशक के रूप में उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक लोक संस्कृति की विभिन्न शोध परियोजनाओं का निर्देशन किया।
- राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर (20 अप्रैल 2000 से 17 जून 2013) काम करते हुए डॉ आर.डी.सैनी ने हिन्दी माध्यम से उच्चशिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञान-विज्ञान की 190 पुस्तकों की रचना करवायी थी। इनमें से अनेक पुस्तकें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनुशंसित हैं और हिन्दी माध्यम से उच्चशिक्षा प्राप्त करने वाले दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार उच्चशिक्षा में माध्यम परिवर्तन की भारत सरकार की नीति के क्रियान्वयन में डॉ आर.डी.सैनी का महत्वपूर्ण योगदान है।
- कथा शुरू होती है (कविता संग्रह) गुन रहा है गांव(कविता संग्रह), सूचना का अधिकार, पूछिए कितना खर्च हुआ है, घोषणापत्र की कसौटी पर सरकार, घनश्यामदास बिड़ला(जीवनी) बच्चे की हथेली पर (उपन्यास) उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं जिनके रचनाकर के रूप में डॉ सैनी हिन्दी जगत में जाने जाते हैं।

सदस्य

- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) की संचालन समिति में सदस्य (14 वर्ष)
- राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति में सदस्य (3वर्ष)
- वर्द्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय की मुद्रण समिति में सदस्य (3वर्ष)
- राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति में सदस्य (4वर्ष 6 माह)
- राजस्थान विश्वविद्यालय के 'राजस्थान भाषा, साहित्य एवं इतिहास' विषय की पाठ्यक्रम निर्माण समिति में सदस्य (3वर्ष)
- राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की समारोह समिति में सदस्य (3वर्ष)

दिनांक 18.06.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

7. श्री सुरजीत लाल मीणा, विशेषाधिकारी (सेवानिवृत्त) :- एम.ए. (अर्थशास्त्र)

अनुभव

- 1985— जिला सांख्यिकी अधिकारी के पद पर सांख्यिकी विभाग, राजस्थान में कार्य ग्रहण किया ।
- 1990—93— परियोजना अर्थशास्त्री, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर / टोंक ।
- 1993—94— मुख्य आयोजना अधिकारी, सवाई माधोपुर ।
- 1994— जिला परियोजना अधिकारी, नेहरू रोजगार योजना, जयपुर ।
- 1994—1999— परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति / जनजाति वित्त एवं विकास निगम, धौलपुर / करौली / सवाई माधोपुर ।
- 1999—2000— जिला परियोजना अधिकारी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जयपुर ।
- 2000—2002— जिला परियोजना प्रबंधक, जिला गरीबी उपक्रम परियोजना (डी.पी.आई.पी.), धौलपुर ।
- 2002—2010— उप निदेशक / संयुक्त निदेशक (अनुसूचित जाति उपयोजना), समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ।
- 2010—2013— उप सचिव (जिला आयोजना), पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 2013— विशेषाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, जयपुर ।

दिनांक 18.06.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

8. डॉ.के.आर.बागड़िया :-

शैक्षणिक योग्यता:-

- 1986— बी.कॉम, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।
- 1990— सनदी लेखाकार (सी.ए.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली ।
- 2012— पी.एच.डी., ई.ए.एफ.एम. विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

विशेषज्ञता :- वित्त, लेखा, अंकेक्षण, प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा ।

अनुभव :-

प्रशासनिक—

- 1990—2000— नई दिल्ली में कार्पोरेट क्षेत्र में सनदी लेखाकार ।
- 1992— सदस्य, गवर्निंग बोर्ड, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, नागौर (राजस्थान) ।
- 2000—2010— निदेशक, स्वामी केशवानन्द तकनीकी संस्थान, प्रबंधन एवं ग्रामोत्थान (एस.के.आई.टी.), जगतपुरा, जयपुर ।
- 2003—2004— राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना हेतु गठित समिति में राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि ।
- 2006—2012— संस्थापक सदस्य, एस.के.आई.टी.— इंफोसिस, अभियन्ताओं के कल्याण के लिए गठित संस्था ।

- 2007–2012— संस्थापक सदस्य, टोर्स्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, केलीफोर्निया के तत्वाधान में एस.के.आई.टी. एवं वी.आई.टी. में गठित टोर्स्ट मास्टर्स क्लब।
- 2007–2012— सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ।
- 2008–2012— उपाध्यक्ष, विवेकानन्द तकनीकी संस्थान।
- 2010— सदस्य, राष्ट्रीय उद्यमिता नेटवर्क, बैंगलोर।
- 2010–2013— सदस्य, राजस्थान सरकार की आर.पी.ई.टी. परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत प्रवेश समन्वय समिति।
- 2012–2013— उपाध्यक्ष, विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर।

शैक्षिक अनुभवः—

- 2000–2012— सदस्य, शैक्षिक परिषद, स्वामी केशवानन्द तकनीकी संस्थान।
- मुख्य संपादक, “एस.के.आई.टी. टाइम्स”, स्वामी केशवानन्द तकनीकी संस्थान, जयपुर का आधिकारिक त्रैमासिक समाचार पत्र।
- मुख्य संपादक, “विवेक”, स्वामी केशवानन्द तकनीकी संस्थान, जयपुर का आधिकारिक त्रैमासिक समाचार पत्र।
- 2012–2013— सदस्य, शैक्षिक परिषद, विवेकानन्द तकनीकी संस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

संगोष्ठी एवं सम्मेलन— निम्नलिखित संगोष्ठी/सम्मेलनों का आयोजन/समन्वय किया एवं भाग लिया :—

- 16.05.2009— एस.के.आई.टी., जयपुर में आयोजित “कंटेम्परेरी एच.आर. चैलेन्जेस्” पर संगोष्ठी।
- 13, 14.11.2009— एस.के.आई.टी., जयपुर में आयोजित “एंटरप्रेन्योरशिप—वेज़ एण्ड मीन्स्” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 21.02.2010— वी.आई.टी., जयपुर में आयोजित “पेराडिग्मस् इन लाइब्रेरी एण्ड इनफोर्मेशन सेक्टर” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 06, 07.03.2010— वी.आई.टी., जयपुर में आयोजित “नोइज़ पोल्यूशन” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 24.09.2010— “माइक्रोवेव इंटीग्रेटिड सर्किट्स” पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला।
- 11, 12.03.2011— जयपुर में आयोजित “माइक्रो एण्ड नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एण्ड डिवाइसिस्—2011” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 29.04.2011— वी.आई.टी., जयपुर में आयोजित “आपदा प्रबंधन” पर संगोष्ठी।
- 30.04.2011— जयपुर में आयोजित प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी “इण्डिया 2020: प्रबंधन प्रक्रिया एवं पद्धति”।
- 05, 06.05.2011— जयपुर में आयोजित “इथिकल हैकिंग नेमड एज़ इटीको” पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- 23, 24.07.2011— जयपुर में “न्यू विस्टाज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजिस्” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
- 04.05.11.2011 को वी.आई.टी., जयपुर में इंगलिश लेंग्वेज़ टीचर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया के सहयोग एवं रीजनल इंगलिश लेंग्वेज़ ऑफिस, यू.एस. एम्बेसी, नई दिल्ली के समर्थन से “एम्बेसिंग ग्लोबल इंगलिश” थीम पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 28, 29.01.2012— जयपुर में “कम्प्युटेशनल एण्ड मेथेमैटिकल साइंस्” पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 04, 05.02.2012— जयपुर में आयोजित “रीसेन्ट एडवांसमेंट्स इन पॉवर सिस्टम इंजीनियरिंग” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 17, 18.02.2012— जयपुर में आयोजित “ग्रीन मेनेजमेंट फॉर बिजनेस कम्प्यूटिटिवनेस्” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 18, 19.02.2012 को जयपुर में आयोजित “इनोवेशन्स इन माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एण्ड कम्प्यूनिकेशन टेक्नोलोजीस्” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 25.02.2012— जयपुर में आयोजित “आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.” के सहयोग से “अरबन वॉटर मेनेजमेंट” पर निबंध—संग्रह।
- 30, 31.03.2012— जयपुर में आयोजित “एनर्जी एफीशियंट सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 28.04.2012— जयपुर में आयोजित “कन्जक्टिव यूज ऑफ वॉटर रिसोर्सिस इन राजस्थान” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

- 27.10.2012— “एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल” द्वारा अपोर्चुनिटी इवेल्यूशन पर वी.आई.टी., जयपुर परिसर में आयोजित कार्यशाला।
- 03.10.2012— जयपुर में आयोजित “इमर्जिंग टेक्नोलोजीस इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग” पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 21 से 23.01.2013— जयपुर में आयोजित “एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम” पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन, मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठी/कार्यशालाओं में भाग लिया।
- प्रख्यात राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान एवं देश के विभिन्न विश्वविद्यालय का भ्रमण किया।

पत्र प्रकाशन :-

- इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू दिसम्बर, 2011 में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि. की कार्यशील पूँजी एवं विक्रय प्रवृत्ति का विश्लेषण नामक पत्र प्रकाशन।
- इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू दिसम्बर, 2012 में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि. की मौजूदा परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों की प्रवृत्ति का विश्लेषण नामक पत्र प्रकाशन।

पत्र प्रस्तुतिकरण :-

- नवम्बर, 2009 में “एंटरप्रेन्योरशिप— मीन्स एण्ड वेज़” पर आयोजित संगोष्ठी में “बिजनेस एण्ड इथिक्स” विषय पर पत्र प्रस्तुतिकरण।
- अप्रैल, 2010 में “ग्लोबल वर्क फोर्स” पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान “एच.आर. प्रेक्टिसेस इन मल्टीकल्चरलिज्म” विषय पर पत्र प्रस्तुतिकरण।
- एन.एस.एम., 2012 संगोष्ठी के दौरान “इनवायरमेन्ट अकाउंटिंग” विषय पर पत्र प्रस्तुतिकरण।
- सर्विस मेनेजमेन्ट: अपोर्चुनिटीज एण्ड चैलेन्जिस नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी में “इमपैक्ट ऑफ कस्टमर सेन्ट्रिक इनिशियेटिव्स बाय इनशोरेन्स कम्पनीज़” विषय पर पत्र प्रस्तुतिकरण।
- राष्ट्रीय सम्मेलन इण्डिया 2020: प्रबंधन प्रक्रिया एवं पद्धति के दौरान “इमपैक्ट ऑफ अनइथिकल प्रेक्टिसिस फोलौड बाय कम्पनीज़ व्हाइल प्रीपेरिंग फाईनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स विद रेफरेन्स टू द रोल ऑफ ऑडिटर्स” (अ स्टडी ऑफ रीसेट फाईनेन्शियल मिशेप्स इन डिफरेन्ट इंडस्ट्रीज अक्रोस द ग्लोब) विषय पर पत्र प्रस्तुतिकरण।

संवाद :-

- एंटरप्रेन्योरशिप सप्ताह के दौरान वर्ष 2008, 2011 एवं 2012 में वार्ता।
- ई-वीक, जयपुर के दौरान वर्ष 2011 में माइक्रो-फाइनेन्स विषय पर वार्ता।
- ई-समीट, जयपुर में ईनोवेटिंग द एस.एम.ई.ज. विषय पर दिनांक 15.09.2012 में वार्ता।

पुरस्कार:-

- मेनेजमेंट टीचर्स कंसोर्टियम ग्लोबल, बैंगलोर द्वारा “एम.टी.सी. ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2012” से पुरस्कृत।
- समाज सेवा के लिएअक्षय पात्र, जयपुर द्वारा सम्मानित।

दिनांक 18.06.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष—गण की सूची

क्र.सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	सर एस. के. घोष, मुख्य न्यायाधीश	01.04.49	25.01.50
2	श्री एस. सी. त्रिपाठी	28.07.50	07.08.51
3	श्री डी. एस. तिवारी	08.08.51	20.01.58
4	श्री एम. एम. वर्मा	20.01.58	03.12.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस. (कार्यभार वहन किया)	04.12.58	31.07.60
6	श्री वी. वी. नार्लिकर	01.08.60	31.07.66
7	डा. बी. एल. रावत, आई.ए.एस. (कार्यभार वहन किया)	27.04.66	31.07.66
8	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.एच.जे.एस.	08.02.67	09.10.71
9	श्री बी. डी. माथुर	09.10.71	23.06.73
10	श्री आर. एस. कपूर	24.06.73	10.06.75
11	श्री मोहम्मद याकूब, आर.एच.जे.एस.	27.06.75	30.06.79
12	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.06.79	10.09.80
13	श्री हरिदत्त गुप्ता	10.09.80	09.06.83
14	श्री एस. अड्वियप्पा	10.06.83	26.03.85
15	डॉ दीन दयाल चौहान	26.03.85	07.11.85
16	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	07.11.85	27.11.89
17	श्री सुगनचन्द्र सिंगारिया (कार्यवाहक)	27.11.89	05.09.90
18	श्री यतीन्द्र सिंह, आई.ए.एस.	05.09.90	06.10.95
19	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	06.10.95	30.09.97
20	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	30.09.97	06.11.97
21	श्री देवेन्द्र सिंह, आई.पी.एस.	06.11.97	30.12.00
22	श्री एन. के. बैरवा, आई.ए.एस.	31.12.00	22.03.04
23	श्री जी.एस. टॉक	15.07.04	04.07.06
24	श्री एच.एन.मीणा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04.07.06	19.09.06
25	श्री सी.आर. चौधरी	23.02.08	28.02.10
26.	श्री एम.एल. कुमावत, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)	28.02.10	01.07.11
27.	प्रोफेसर बी.एम. शर्मा	01.07.11	31.08.12

परिशिष्ट – 3(ख)

(ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य—गण की सूची

क्र. सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	श्री डी. एस. तिवाड़ी	26.01.50	07.08.51
2	श्री एन. आर. चन्दोरकर	26.01.50	31.12.50
3	श्री वी. आर. अडिगे	17.02.51	16.02.57
4	श्री मदन मोहन वर्मा	28.06.52	20.01.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस.	01.03.57 एवं 01.08.60	03.12.58 एवं 20.11.61
6	श्री रघुकुल तिलक, वाइस चांसलर	04.02.58	07.01.60
7	श्री एस. एल. आहुजा, आई.ए.एस.	01.12.59	17.11.64
8	श्री श्याम लाल, आई.ए.एस.	17.04.61	15.04.66
9	श्री बी. एल. रावत, आई.ए.एस.	04.09.61	04.09.66
10	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.ए.च.जे.एस.	20.03.65	07.02.67
11	श्री आर. एन. हावा, आई.ए.एस.	27.07.66	19.07.70
12	श्री एस. डी. उज्जल, आई.ए.एस.	31.05.67	05.01.70
13	श्री शिव शंकर, आई.ए.एस.	29.07.67	10.09.70
14	श्री बी. डी. माथुर	11.11.68	08.10.71
15	श्री विष्णुदत्त शर्मा, आई.ए.एस.	11.06.70	06.03.73
16	श्री आर. एस. कपूर	11.06.70	24.06.73
17	श्री धूलेश्वर मीणा, भूतपूर्व सांसद	01.01.72	02.01.78
18	श्री मोहम्मद याकूब, आर.ए.च.जे.एस.	07.08.72	26.06.75
19	श्री धर्मेन्द्र हांडा, आई.ए.एस.	05.04.73	10.12.74
20	श्री नाथूलाल जैन, भूतपूर्व सभापति, राजस्थान विधान—सभा	27.07.74	03.10.79
21	श्री हरिदत्त गुप्ता	26.04.75	10.09.80
22	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.03.77	30.06.79
23	श्री एस. अडवियप्पा	12.09.79	09.06.83
24	डॉ दीनदयाल चौहान	11.11.79	26.03.85
25	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	06.11.82	07.11.85
26	श्री भवानीमल, आई.पी.एस.	04.07.84	27.06.88
27	डॉ दूल सिंह	06.07.84	22.09.86
28	डॉ डी. एस. सारस्वत	16.12.85	22.01.88
29	श्री सुगनचंद सिंगारिया	28.05.86 एवं 05.09.90	26.11.89 एवं 27.05.92
30	श्री सुभाष चन्द्र टंडन, आई.पी.एस.	01.12.87	06.11.91
31	प्रोफेसर के. एल. कमल	16.09.88	11.09.92
32	डॉ ज्ञानप्रकाश पिलानिया, आई.पी.एस.	22.12.89	17.02.94
33	श्रीमती कान्ता कथूरिया, भूतपूर्व सदस्य, (राज. विधान सभा)	22.12.89	23.04.95 (त्याग—पत्र दिया)
34	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	31.10.92	05.10.95
35	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	28.07.93	30.09.97
36	श्रीमती कमला भील, भूतपूर्व राज्यमंत्री, (राज. विधान सभा)	28.07.93	27.07.99
37	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03.04.95	05.08.00
38	डॉ (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18.01.96	18.01.02
39	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, भूतपूर्व मुख्य सचेतक (राज. वि. स.)	26.12.97	04.06.03
40	श्री दलीप सिंह	27.12.97	30.06.99
41	श्री एम. एल. परिहार	14.12.99	14.03.01
42	डॉ. एस.एस.टाक	10.11.99	09.11.05
43	प्रो. (डॉ.) एच.ए.एस. जाफरी	01.02.01	18.06.06
44	श्री एच.एन.मीणा, (आई.पी.एस. सेवानिवृत्त)	25.02.02	04.07.06
45	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25.08.03	06.02.08
46	श्री सी.आर. चौधरी	27.02.02	22.02.08
47	श्री एच.एल. मीना	18.04.08	31.01.12
48	डा. एच.के.गौराण, भा.पु.से. (से.नि.)	19.11.11	31.08.12
49	श्रीमती दिव्या सिंह	30.11.11	30.10.12 (त्याग—पत्र दिया)
50	श्री शिव पाल सिंह नांगल	18.04.08	13.11.13 (त्याग—पत्र दिया)

परिशिष्ट— 4 (क)
आयोग—सचिवालय के अधिकारी / कर्मचारी

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	
		1-4-2013	31-3-2014

1. राजपत्रित

1	सचिव	01	01
2	विधि परामर्शी	01	01
3	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	01	01
4	वरिष्ठ उप सचिव	-	02
5	वित्त परामर्शी	-	01
6	उप सचिव (आर.ए.एस.)	01	01
7	उप सचिव	03	05
8	उप सचिव (परीक्षा)	01	01
9	परीक्षा नियंत्रक (उप सचिव)	01	01
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	-
12	सदस्य-सचिव (व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता-परीक्षा)	01	01
13	सहायक सचिव	10	12
14	निजी सचिव	06	08
15	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
16	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01
17	अनुभाग अधिकारी	20	24
18	सहायक लेखा अधिकारी-I	01	02
19	प्रोग्रामर	01	04
20	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01
21	मूल्यांकन अधिकारी	01	01
22	अतिरिक्त निजी सचिव	01	02
	योग:	55	72

2. अराजपत्रित

1	निजी सहायक	03	03
2	सहायक लेखा अधिकारी-II	02	02
3	कनिष्ठ लेखाकार	04	04
4	शीघ्रलिपिक	03	06
5	कनिष्ठ विधि अधिकारी	02	03
6	सहायक प्रोग्रामर	01	03
7	अन्वेषक	01	01
8	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01
9	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
10	सहायक अनुभाग अधिकारी	40	46
11	भण्डारपाल (विशेष वेतन प्राप्त वरिष्ठ लिपिक)	01	01
12.	कलर्क ग्रेड- I	62	90
13.	सूचना सहायक	05	10
14.	कलर्क ग्रेड- II	46	91
15.	इलेक्ट्रिशियन	-	02
16.	वाहनचालक	10	10
17.	मशीनमैन	02	02
	योग:	184	276

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1	जमादार	05	05
2	दफतरी	03	03
3	बुक लिफ्टर	01	01
4	बन्डल लिफ्टर	01	01
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- (साइकिल सवार, फर्श, द्वारपाल, सफाई कर्मचारी)	33	48
6	वेटर	01	01
7	चौकीदार	01	01
	योग:	45	60

4. संविदा आधार पर

1.	ई.पी.ए.बी.एक्स ऑपरेटर	01	01
2.	जेनरेटर ऑपरेटर	01	-
3.	इलेक्ट्रिशियन	01	-
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	05	-
	योग:	08	01

परिशिष्ठ - 4 (ख)

वर्ष 2009-2010 से 2013-2014 तक सम्पादित कार्य का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद	वर्ष				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	साक्षात्कार के साथ अथवा बिना साक्षात्कार के परीक्षा द्वारा भर्ती:					
	(1) आयोजित परीक्षाएँ (प्रथम/द्वितीय चरण)	9	15	20	11	16
	(2) वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन—पत्र	62118	1047404	1752898	105990	2753659
	(3) परीक्षा में प्रवेश दिये गये अभ्यर्थी	380290	914577	1329028	651133	2140432
	(4) परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी	281308	719762	852995	438590	1654594
	(5) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	2903	1621	2376	2023	416
	(6) साक्षात्कार या बिना साक्षात्कार के चयनित अभ्यर्थी	7388	5412	8212	10759	250
2	साक्षात्कार द्वारा भर्ती :					
	(क) आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं की संख्या	20	07	46	33	13
	(ख) अर्धनाइँ प्राप्त/निस्तारित	108	109	28	26	91+11 (पूर्व)
	(ग) वर्ष के दौरान विज्ञापित पद	547	1233	898	411	1293
	(घ) पद जिनके लिए भर्ती पूर्ण की गई	842	2862	981	1141	1023
	(ड) आवेदकों की संख्या	21571	118379	33814	37991	45911
	(च) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	3098	9333	2506	2617	3121
	(छ) चयनित अभ्यर्थी	838	2766	880	889	866
	(ज) सुरक्षित सूचियों में से अभिस्तावित अभ्यर्थी	32	477	4	18	15
	(झ) आयोजित राज्य स्तरीय व्याख्याता—पात्रता परीक्षा (विषयों की संख्या)	24	-	-	28	-
3	विविध :					
	(1) पदोन्नति (विभागीय पदोन्नति समितियों)	312 (5345 व्यक्ति समिलित)	215 (3492 व्यक्ति समिलित)	20 (276 व्यक्ति समिलित)	457 (31810 व्यक्ति समिलित)	284 (9615 व्यक्ति समिलित)
	(2) अस्थायी नियुक्तियों का नियमन	54	24	258	613	391
	(3) अनुशासनिक मामले और अपीलें (आयोग द्वारा परामर्श दिया गया)	48	85	49	35	31
	(4) नियमावलियों/अनुसूचियों के सशोधन, जिन पर विचार किया गया	196	153	192	218	492
	(5) याचिका सम्बन्धी मामले— (क) प्राप्त हुए/लम्बित	2131	3094	2657	2880	1060
	(ख) न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निपटाये गये	441	570	1411	940	915
	(6) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी	132	-	-	-	13
	(7) कार्याशालाएँ आयोजित	11	26	74	5	16
	(8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ					
	(अ) प्राप्त/लम्बित प्रार्थना—पत्र	1382	3225	5806	8415	4169
	(ब) आयोग द्वारा निस्तारण	1341	2434	5536	7699	4940

परिशिष्ट— 5

वर्ष 2012–2013 एवं 2013–2014 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का विवरण

(क) आय

क्र. सं.	आय के स्रोत	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2012–2013)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2013–2014)
1.	फीस	472.00	7040.00
2.	अन्य आय	53.00	09.62
	योगः	525.00	7049.62

(ख) व्यय

क्र.सं.	मद	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2012–2013)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2013–2014)
1.	वेतन	832.56	975.88
2.	यात्रा भत्ता	9.87	10.00
3.	विकित्सा पुनर्भरण	16.7	10.50
4.	कार्यालय व्यय	85.00	79.99
5.	नये वाहन का क्रय	0.00	47.83
6.	कार्यालय वाहन अनुरक्षण	28.00	35.88
7.	व्यावसायिक / विशिष्ट सेवाओं हेतु भुगतान	1295.58	1934.05
8.	विज्ञापन	95.00	80.00
9.	आतिथ्य / सत्कार भत्ता	0.05	0.10
10.	भवन का समुचित रख—रखाव	19.15	3.80
11.	विधि सम्बंधी व्यय	0.00	0.00
12.	संविदा वाहन व्यय	0.00	0.00
13.	स्टेशनरी	4.00	4.00
14.	मुद्रण	2.21	2.83
15.	संविदा सेवाएँ	91.97	97.90
16.	कर्मचारी कल्याण	0.25	0.40
17.	लिवरीज़ (वर्दियाँ)	0.53	0.73
18.	पेंशन अंशदान	0.00	0.00
19.	निर्माण कार्य	20.67	16.25
	योग :	2501.54	3300.14

परिशिष्ट – 6
वर्ष 2013–14 के दौरान् आयोजित परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	आवेदन पत्रों की संख्या	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या
1	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (मुख्य), 2012	30-05-13 to 19-06-13	25308	19525
2	कनिष्ठ लिपिक (द्वितीय चरण) परीक्षा, 2011 (ऑनलाईन परीक्षा)	20 & 21-07-13	1549	888
3	सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी/कृषि) (प्रा.) परीक्षा, 2013	23,24 & 25-07-13	16995	8915
4	प्रोग्रामर परीक्षा, 2013	06-09-13	23543	13614
5	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रा.), 2013	26-10-13	407876	295528
6	शीघ्रलिपिक (द्वितीय चरण) परीक्षा, 2011 (ऑनलाईन परीक्षा)	18 & 19-12-13	1169	767
7	कनिष्ठ लिपिक (प्रथम चरण) परीक्षा, 2013 (ऑनलाईन परीक्षा)	11-01-14	699592	530277
	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II परीक्षा, 2013			
8	संस्कृत	22-02-14	102171	87343
9	विज्ञान	22-02-14	81882	62442
10	सामाजिक विज्ञान	23-02-14	357939	287093
11	हिन्दी	23-02-14	303583	257549
12	अंग्रेजी	24-02-14	74052	57774
13	गणित	24-02-14	33552	23290
14	उर्दू	25-02-14	8150	7107
15	पंजाबी	25-02-14	2885	2357
16	गुजराती	25-02-14	186	125
योग:-			2140432	1654594

परिशिष्ट – 7(क)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की संख्या,
जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त हुई
(केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
1	जल संसाधन विभाग	263	-	3	-	266
2	कृषि विभाग	-	-	115	289	404
3	चिकित्सा शिक्षा विभाग	-	219	26	-	245
4	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	43	-	-	-	43
5	मत्स्य विभाग	-	-	10	-	10
6	अभियोजन विभाग	-	-	-	130	130
7	स्टेट मोटर गैराज	1	-	2	-	3
8	आयुर्वेद विभाग	-	2	3	-	5
9	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा	-	-	-	8	8
10	राज्य अभिलेखागार विभाग	-	-	-	1	1
11	भू-जल विभाग	-	-	18	-	18
12	कॉलेज शिक्षा विभाग	-	-	-	1125	1125
13	तकनीकी शिक्षा विभाग	296	-	23	52	371
	योग	603	221	200	1605	2629

परिशिष्ट – 7(ख)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की संख्या, जिनका विज्ञापन,
वर्ष 2013–2014 के दौरान् प्राप्त अर्थनाओं में से किया गया
(केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
1	पशुपालन विभाग	-	350	-	-	350
2	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	36	-	22	-	58
3	कृषि विभाग	-	-	113	34	147
4	चिकित्सा शिक्षा विभाग	-	219	26	-	245
5	मत्स्य विभाग	-	-	10	-	10
6	अभियोजन विभाग	-	-	-	130	130
7	आयुर्वेद विभाग	-	2	-	-	2
8	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा	-	-	-	8	8
9	तकनीकी शिक्षा विभाग	268	-	23	52	343
	योग	304	571	194	224	1293

परिशिष्ट- 7(ग)

वर्ष 2013–14 के दौरान साक्षात्कार द्वारा चयन

क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या					प्राप्त आवेदन पत्र					साक्षात्कार हेतु आमत्रित					उपस्थित					चयनित						
			पु.	म.	वि.	वि. वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		
							पु.	म.				पु.	म.				पु.	म.											
1	प्रवक्ता— भौतिक शास्त्र, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 31		कुल	24	6	1	0	1	0	1009	411	1	10	1	90	27	0	4	0	84	24	0	3	0	21	9	0	1	0
			अजा	4	1	0	0	1	आ.ए.ल. क्लैटिज	73	17	0	1	0	8	6	0	0	0	8	4	0	0	0	4	1	0	0	0
			अजजा	3	0	0	0	0	0	38	5	0	0	0	9	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0
			अपिव	5	2	0	0	0	0	407	112	0	4	1	37	9	0	1	0	34	8	0	1	0	8	3	0	0	0
			विपिव	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			सा.	12	3	1	0	0	0	485	277	1	5	0	36	12	0	3	0	34	12	0	2	0	6	5	0	1	0
2	प्रवक्ता— विद्युत अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 16		कुल	14	2	0	0	1		1853	241	0	6	2	40	7	0	2	0	38	7	0	2	0	13	2	0	1	0
			अजा	2	0	0	0	1	आ.ए.ल. क्लैटिज	221	20	0	0	1	5	1	0	0	0	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0
			अजजा	2	0	0	0	0	0	274	8	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0
			अपिव	3	0	0	0	0	0	539	48	0	2	1	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	6	0	0	0	0
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			सा.	7	2	0	0	0	0	819	165	0	4	0	19	6	0	2	0	17	6	0	2	0	3	2	0	1	0
3	प्रवक्ता— सिविल अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 62		कुल	45	14	3	0	2		944	148	0	7	1	161	58	0	5	0	133	40	0	2	0	43	17	0	2	0
			अजा	7	3	0	0	2	आ.ए.ल. क्लैटिज	147	17	0	1	0	20	8	0	1	0	15	5	0	0	0	9	3	0	0	0
			अजजा	5	2	0	0	0	0	176	20	0	3	0	20	8	0	1	0	11	3	0	1	0	5	2	0	1	0
			अपिव	10	2	1	0	0	0	247	33	0	3	0	52	15	0	3	0	45	10	0	1	0	19	4	0	1	0
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			सा.	23	7	2	0	0	0	374	78	0	0	1	69	27	0	0	0	62	22	0	0	0	10	8	0	0	0
4	प्रवक्ता— कम्प्यूटर अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 32		कुल	24	7	1	0	1		3023	986	4	29	4	66	25	0	2	0	57	21	0	1	0	20	11	0	1	0
			अजा	4	1	0	0	1	आ.ए.ल. क्लैटिज	351	63	0	2	0	12	4	0	1	0	9	2	0	1	0	3	1	0	1	0
			अजजा	3	1	0	0	0	0	141	26	0	1	0	7	3	0	0	0	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0
			अपिव	5	2	0	0	0	0	903	212	1	12	1	17	7	0	0	0	14	7	0	0	0	7	5	0	0	0

क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या					प्राप्त आवेदन पत्र					साक्षात्कार हेतु आमंत्रित					उपस्थित					चयनित							
			पु.	म.	वि.	वि. वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD		पु.	म.	वि.	PD			
							पु.	म.				पु.	म.				पु.	म.		पु.	म.	पु.	म.	पु.		म.	पु.	म.		
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	प्रवक्ता— कोस्टयूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 03	सा.	12	3	1	0	0	0	0	1628	685	3	14	3	30	11	0	1	0	29	10	0	0	0	8	3	0	0	0	
		कुल	3	0	0	0	0	0	0	12	200	2	1	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	बी.एल./एल.वी.		2	30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		अजजा	1	0	0	0	0	ओ.ए./ओ.एल./बी.एल. क्षेत्रिज		1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	0	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	1	0	0	0	0	0	0	8	139	2	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	प्रवक्ता— इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 16	कुल	14	2	0	0	1	0	2848	647	2	30	2	46	7	0	3	0	42	6	0	2	0	13	2	0	1	0	0	
		अजा	3	0	0	0	0	1 ओ.एल. क्षेत्रिज		311	44	0	3	0	9	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		अजजा	3	0	0	0	0	0	0	193	30	0	0	0	10	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
		अपिव	3	0	0	0	0	0	0	891	102	1	8	0	14	1	0	1	0	14	1	0	1	0	3	0	0	1	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	5	2	0	0	0	0	0	1453	471	1	19	2	13	6	0	2	0	13	5	0	1	0	4	2	0	0	0	
7	प्रवक्ता— टेक्सटाइल डिजाईन, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 03	कुल	3	0	0	0	0	0	0	104	166	3	1	0	10	6	0	0	0	10	6	0	0	0	2	1	0	0	0	
		अजा	1	0	0	0	0	क्षेत्रिज		17	11	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		अपिव	1	0	0	0	0	0	0	28	32	0	0	0	4	2	0	0	0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	1	0	0	0	0	0	0	57	120	3	1	0	3	4	0	0	0	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	
8	प्रवक्ता— यांत्रिकी अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल पद 46	कुल	34	11	1	0	1	0	1887	117	0	18	0	109	36	0	3	0	87	36	0	2	0	31	14	0	1	0		
		अजा	6	2	0	0	1	ओ.एल. क्षेत्रिज		247	11	0	1	0	21	5	0	0	0	17	5	0	0	0	6	2	0	0	0	
		अजजा	4	1	0	0	0	0	0	151	7	0	0	0	9	3	0	0	0	4	3	0	0	0	3	2	0	0	0	
		अपिव	7	3	0	0	0	0	0	468	27	0	1	0	29	9	0	1	0	27	9	0	1	0	12	5	0	1	0	

क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या						प्राप्त आवेदन पत्र						साक्षात्कार हेतु आमंत्रित						उपस्थित						चयनित						
			पु.			म.			वि. वि.	PD		पु.			म.			वि.	PD	पु.			म.			वि.	PD	पु.			म.		
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			सा.	1	0	0	0	0	0	0	48	8	1	0	0	5	3	0	0	0	5	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	

परिशिष्ट – 7(घ)

पद विज्ञापित किए गए, किन्तु चयन अपूर्ण रहा

क्र.सं.	विभाग / पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
1	<u>कॉलेज शिक्षा – व्याख्याता – गृह विज्ञान (बाल विकास)</u>	03	15600-39100 (GP-6000)
2	गृह विज्ञान (क्लोथिंग टैक्सटाइल)	02	15600-39100 (GP-6000)
3	गृह विज्ञान (शिक्षा विस्तार)	02	15600-39100 (GP-6000)
4	गृह विज्ञान (फूड न्यूट्रिशन)	03	15600-39100 (GP-6000)
5	गृह विज्ञान (गृह प्रबन्धन)	02	15600-39100 (GP-6000)
6	<u>कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग</u> निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	12	15600-39100 (GP-5400)
7	<u>कृषि विभाग</u> कृषि अनुसंधान अधिकारी	01	15600-39100 (GP-5400)
8	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन)	04	9300-34800 (GP-4200)
9	<u>खान एवं भू-विज्ञान विभाग</u> सहायक खनि अभियन्ता	07	15600-39100 (GP-5400)
10	<u>भू-जल विभाग</u> कनिष्ठ रसायनज्ञ	01	15600-39100 (GP-5400)
11	<u>वन विभाग</u> सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	03	15600-39100 (GP-5400)
12	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)	01	15600-39100 (GP-5400)
13	<u>मत्स्य पालन विभाग</u> सहायक मत्स्य विकास अधिकारी	04	9300-34800 (GP-3600)
14	<u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार</u> <u>कल्याण विभाग</u> आहारविद	01	9300-34800 (GP-3600)
15	<u>आयोजना विभाग</u> सांख्यिकी अधिकारी,	183	9300-34800 (GP-4200)
16	मूल्यांकन अधिकारी	07	9300-34800 (GP-4200)
17	<u>राजस्थान स्टेट मोटर गैरज विभाग</u> मण्डलीय अधीक्षक	01	9300-34800 (GP-3600)
18	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> उपाचार्य / अधीक्षक	12	15600-39100 (GP-5400)
19	ग्रुप अनुदेशक / सर्वेयर / सहायक शिक्षिता सलाहकार ग्रुप ॥	30	9300-34800 (GP-4200)
20	<u>पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग</u> मुद्राशास्त्री	1	9300-34800
	योग :-	280	

परिशिष्ट – 7(अ)

अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ (2013–14)

क्र.सं.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	आवेदक	परीक्षा की दिनांक	उपस्थित
1	<u>पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग</u> संग्रहाध्यक्ष	5	1357	24.04.13	720
2	<u>वन विभाग</u> सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)	1	109	24.04.13	34
3	<u>खान एवं भू-विज्ञान विभाग</u> रसायनज्ञ	1	252	25.04.13	73
4	<u>भू-जल विभाग</u> कानिष्ठ रसायनज्ञ	5	166	25.04.13	63
5	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	12	494	13.07.13	272
6	राज्य अभिलेखागार विभाग पुरालेखपाल	2	309	13.07.13	146
7	शोध अधिकारी	1	81	26.04.13	35
8	<u>कृषि विभाग</u> कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)	14	94	26.04.13	43
9	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट)	15	63	26.04.13	25
10	<u>आयोजना विभाग</u> मूल्यांकन अधिकारी	7	274	12.07.13	134
11	सांख्यिकी अधिकारी	183	2763	02.02.14	1408
12	<u>विद्युत निरीक्षणालय विभाग</u> सहायक विद्युत निरीक्षक	6	525	12.07.13	278
13	ग्रुप अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहाकार ग्रुप ॥, तकनीकी शिक्षा विभाग	30	1552	04.01.14	1011
	योग :-	282	8039		4242

परिशिष्ट – 7 (च)

पदों की सूची जिनकी अर्थना विज्ञापनोपरान्त परन्तु साक्षात्कार से पूर्व निरस्त कर दी गई

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
— शून्य —			

परिशिष्ट – 7 (छ)

पद जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये परन्तु कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
— शून्य —			

परिशिष्ट – 7 (ज)
पद जिनके लिये आरक्षित सूची से नाम अभिस्तावित किये गये

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	अभिस्तावना दिनांक
	कॉलेज शिक्षा		
1	व्याख्याता— हिन्दी	01	30.05.2013
2	व्याख्याता— गणित	01	16.05.2013
	चिकित्सा शिक्षा विभाग		
3	सहायक आचार्य (निश्चेतन)	03	30.04.2013
4	सहायक आचार्य (अस्थि रोग)	03	03.09.2013
5	वरिष्ठ प्रदर्शक (फिजियोलोजी)	02	07.08.2013
6	वरिष्ठ प्रदर्शक (कम्प्यूनिटी मेडिसन)	05	12.07.2013
	योग	15	

परिशिष्ट – 7 (झ)
पद विज्ञापित किए गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	— शून्य —		

परिशिष्ट – 8 (क)

निःशक्त जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण

क्र.सं.	विभाग	पदों की संख्या	आवेदक	साक्षात्कार		चयनित
				आमंत्रित	उपस्थित	
1	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> प्रवक्ता – विद्युत अभियांत्रिकी	01	08	02	02	01
2	सिविल अभियांत्रिकी	02	08	05	02	01
3	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	01	33	02	01	01
4	इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी	01	32	03	02	01
5	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	01	18	03	02	01
6	रसायन शास्त्र	01	41	03	03	01
7	भौतिक विज्ञान	01	11	04	03	01
8	<u>सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग</u> जनसम्पर्क अधिकारी	01	46	04	04	0
9	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	02	75	06	05	0
10	<u>कृषि विभाग</u> सहायक कृषि अधिकारी	06	80	14	12	04
11	नगर नियोजन विभाग सहायक नगर नियोजक	02	05	0	0	0
12	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य— जनरल मेडिसन	02	04	03	03	02
13	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग ट्यूटर	01	18	03	03	01
14	फिजियोथेरेपिस्ट	01	10	02	02	01
		23	389	54	44	15

नोट:-

क्र.सं.	विभाग / पद	विवरण
1	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य वक्ष एवं क्षय	01 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित था। 01 एल.डी. अभ्यर्थी ने आवेदन किया किन्तु साक्षात्कार उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।
2	जनरल मेडिसन	01 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित था। 01 एल.डी. अभ्यर्थी ने आवेदन किया किन्तु साक्षात्कार उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।
3	मानसिक रोग	01 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित था। 01 एल.डी. अभ्यर्थी ने आवेदन किया किन्तु साक्षात्कार उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।
4	निश्चेतन	01 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित था परन्तु किसी भी निःशक्तजन अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया।
5	नेत्र रोग	01 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित था परन्तु किसी भी निःशक्तजन अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया।

परिशिष्ट – 8 (ख)

आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ा वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्र.सं.	विभाग / पद	आरक्षित पदों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
शून्य				

परिशिष्ट – 9

चिरकालिक प्रकरण—विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब

क्र.सं.	विभाग/पद का नाम	पदधारकों की संख्या
5 वर्ष एवं इससे अधिक समय से निरन्तर चल रही तदर्थ नियुक्तियाँ		
1	<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य</u> चिकित्सा आधिकारी	256
	योग :	256

परिशिष्ट – 10

आयोग द्वारा अनुमोदित पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध शासन द्वारा की गई अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण

क्र.सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	<u>सर्वजनिक निर्माण विभाग</u> 1. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी)	01
	2. सहायक अभियन्ता (श्री आर.के. गुप्ता)	01
	3. सहायक अभियन्ता (श्री प्रेम चंगुलानी)	01
	4. सहायक अभियन्ता (सिविल डिग्री होल्डर) (श्री पी.आर. चौधरी)	01
2	<u>शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग</u> 1. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (विभिन्न विषय) 2. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (विभिन्न विषय) 3. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (विभिन्न विषय) 4. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (विभिन्न विषय) एवं प्रधानाध्यापक	11 46 08 28
3	<u>कार्मिक विभाग</u> 1. निजी सचिव, सचिवालय सेवा	07
	योग :	104

परिशिष्ट – 11

आयोग द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध शासन द्वारा की गई, अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण

क्र.सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप – 1) – 1. सहायक आचार्य, सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर 2. वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एस.एम., मेडिकल कॉलेज, बीकानेर 3. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, अजमेर, कोटा एवं जोधपुर 4. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, जयपुर, बीकानेर एवं उदयपुर 5. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा 6. सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर 7. सहायक आचार्य – सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01 01 21 25 33 01 01
	8. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, अजमेर, कोटा एवं बीकानेर 9. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं उदयपुर 10. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, जोधपुर 11. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर	09 03 64 46
2	नगर नियोजन विभाग 1. सहायक नगर नियोजक	33
3	जल संसाधन विभाग 1. सहायक अभियन्ता 2. सहायक अभियन्ता	01 48
योग :		287

परिशिष्ट – 12

शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा) / सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से की गई नियुक्तियों के प्रकरण, जो कि सूचना के अभाव में लम्बित रहे

क्र. सं.	विभाग / पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या	
		सीधी भर्ती कोटा	पदोन्नति कोटा
1	तकनीकी शिक्षा विभाग 1. व्याख्याता (विभिन्न विषय) (वर्ष 2012 एवं 2013 से लम्बित)	13	—
2	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-I विभाग) सहायक आचार्य एवं व्याख्याता, फिजियोथेरेपी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	03	—
3	कृषि विभाग 1. सहायक कृषि अधिकारी (वर्ष 2008–09 से लम्बित)	—	216
4	पर्यटन विभाग 1. सहायक निदेशक – पर्यटन (वर्ष 2009–10 से लम्बित)	—	03
5	सार्वजनिक निर्माण विभाग 1. सहायक अभियन्ता, सिविल (वर्ष 2012–2013 से लम्बित)	—	09
6	खान (ग्रुप-1) विभाग अतिरिक्त निदेशक, भू-गर्भ शास्त्री (वर्ष 2012–2013 से लम्बित)	—	01
7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग 1. चिकित्सा अधिकारी (वर्ष 2010 एवं 11 से लम्बित) 2. चिकित्सा अधिकारी (वर्ष 2012–13 से लम्बित)	370 01	— —
	योग	387	229

परिशिष्ट – 13

आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम	संशोधनों की संख्या	
		नियम	अनुसूची
<u>राज्य सेवा :</u>			
1	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	12	—
2	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	14	4
3	राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान सेवा नियम, 1979	—	4
4	राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970	2	50
5	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	—	4
6	राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954	5	—
7	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	9	10
8	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	8	2 (सम्पूर्ण अनुसूची)
9	राजस्थान अभियंता एवं शोध अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	—	7
10	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	—	2
11	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	—	1
12	राजस्थान जन सम्पर्क सेवा नियम, 1966	—	6
13	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य सेवा नियम, 1963	3	—
14	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी) नियम एवं विनियम, 1991	4	8
15	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	23	3 (सम्पूर्ण अनुसूची)
16	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976	—	2
17	राजस्थान आबकारी सेवा (निरोधक अधिकारी) नियम, 1967	59	—
18	राजस्थान फैक्ट्रीज़ एवं बॉयलर्स इंस्पेक्टर एवं फैक्ट्री इंस्पेक्टर (रसायन) सेवा नियम, 1958	—	5
19	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालय राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	—	2
20	राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2010	1	21
21	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	1	8
22	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	5	—
23	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	—	2
<u>अधीनस्थ सेवा :</u>			
24	राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	1	4
25	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	—	6=5+1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
26	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973	3	6
27	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जनस्वारक्ष्य शाखा) नियम, 1967	2	4
28	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	4	2 (सम्पूर्ण अनुसूची)
29	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	1	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
30	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	15	—

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम	संशोधनों की संख्या	
		नियम	अनुसूची
अधीनस्थ सेवा :			
31	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	4	—
32	राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988	1	—
33	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999	30	24
34	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970	20	16
35	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम एवं विनियम, 1999	5	18
36	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001	2	4
37	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निरोधक शाखा) नियम, 1976	28	—
विविध :			
38	राजस्थान लोक सेवा आयोग संबंधी मैन्युल में संशोधन	—	2
39	मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी नियमों, 1966 में संशोधन	1	—
40	अंतिम चयन में साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण का भार कुल अंकों का 12.5% से अधिक नहीं होने संबंधी विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन	1	—
	योग :	264	228

परिशिष्ट – 14

नवीन सेवा नियमों के प्रारूप

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम (प्रारूप)
1.	राजस्थान नागरिक उड़डयन राज्य सेवा नियम, 2013
2.	राजस्थान आबकारी (राज्य एवं अधीनस्थ) प्रयोगशाला सेवा नियम, 2013
3.	राजस्थान विश्रान्ति गृह (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013
4.	राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम
5.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014

परिशिष्ट – 15

नवीन सेवा नियम अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम
1	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी) सेवा (संशोधन) नियम एवं विनियम, 1991
2	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960
3	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970
4	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956
5	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975
6	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954
7	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963
8	राजस्थान आर्थिक एवं सांगीतिकी सेवा नियम, 1958
9	राजस्थान सिविल सेवाएं (राज्य विशिष्ट शाखा में व्यक्तिओं की नियुक्ति के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2013
10	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954
11	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962
12	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963
13	राजस्थान महिला विकास सेवा नियम, 2008
14	राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010
15	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951
16	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं नैचेरोपैथी सेवा नियम, 1973
17	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998
18	राजस्थान सिविल सेवाएं (परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2013
19	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992
20	राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008
21	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा नियम, 1958
22	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999
23	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981
24	राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991
25	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960
26	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2013
27	राजस्थान सिविल सेवाएं (जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उपाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता सेवा के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2005
28	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967
29	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989
30	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965
31	राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988
32	राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001
33	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013
34	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978
35	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977
36	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963
37	राजस्थान खान एवं भू- विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960
38	राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996
39	राजस्थान शिक्षा सहायक सेवा नियम, 2013
40	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं नैचेरोपैथी अधीनस्थ सेवा नियम, 1966
41	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाएं) नियम एवं विनियम, 1999
42	राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001
43	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978
44	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971

परिशिष्ट – 16

सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के नाम/पद/यूनिट	शहीद होने का दिनांक	आश्रित, जिसकी नियुक्ति की जानी है	पद जिस पर नियुक्ति की जानी है	अभ्युक्ति
1.	शहीद सैनिक श्री सत्यवीर सिंह	28–06–2009	पुत्री	नायब तहसीलदार	प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक जवाब शासन के राजस्व (ग्रुप-I) विभाग, जयपुर से प्रतीक्षित रहा।

परिशिष्ट – 17

डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र/परीक्षा को मान्यता देने संबंधी आयोग को भेजे गये प्रकरण

क्र. सं.	डिग्री/डिप्लोमा का नाम
1	केन्द्र एवं राज्य सरकार में रोजगार हेतु आई.सी.ई (आई) द्वारा आयोजित सिविल एवं वास्तु अभियांत्रिकी परीक्षा एवं एसोसियट सदस्यता एवं तकनीकीशियन सदस्यता को मान्यता संबंधी नोटिफिकेशन का निर्गमन।

परिशिष्ट— 18

वर्ष 2013–14 में आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार एवं भेजी गई अभिस्तावनाओं का विवरण

		सा.	55	24	79	8684	3369	12053										
9	मोटर वाहन उप-निरीक्षक परीक्षा, 2013	कुल	115	31	146	2670	86	2756										
		अजा	18	4	22	357	7	364										
		अजजा	14	1	15	357	11	368										
		अपि	26	8	34	888	34	922										
		विपि	0	0	0	46	0	46										
		सा.	57	18	75	1022	34	1056										
	वरिच्छ अध्यापक ग्रेड II (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा, 2013																	
10	गणित	कुल	1568	645	2213	23083	10465	33548	15467	7823	23290							
		अजा	248	101	349	2201	439	2640	1650	352	2002							
		अजजा	231	92	323	912	165	1077	654	150	804							
		अपि	319	132	451	9020	3668	12688	7259	3229	10488							
		विपि	17	3	20	336	68	404	280	60	340							
		सा.	753	317	1070	10614	6125	16739	5624	4032	9656							
11	अंग्रेजी	कुल	1300	529	1829	38744	35306	74050	29789	28002	57791							
		अजा	198	79	277	7132	2954	10086	5957	2502	8459							
		अजजा	210	82	292	3175	1432	4607	2542	1229	3771							
		अपि	251	103	354	15944	13533	29477	12973	11326	24299							
		विपि	15	1	16	1098	387	1485	925	329	1254							
		सा.	626	264	890	11395	17000	28395	7392	12616	20008							
क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र	साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		

		अजा	48	13	61	172	32	204	137	28	165									
		अजजा	42	13	55	133	24	157	108	19	127									
		अपिव	56	21	77	3051	2150	5201	2777	1983	4760									
		विपिव	2	0	2	23	8	31	21	7	28									
		सा.	153	61	214	1200	1357	2557	843	1178	2021									
17	विज्ञान	कुल	1464	598	2062	47736	36086	83822	35955	27831	63786									
		अजा	225	91	316	8489	3632	12121	6860	2968	9828									
		अजजा	232	93	325	4511	1495	6006	3480	1235	4715									
		अपिव	283	117	400	19811	14817	34628	16163	12347	28510									
		विपिव	17	1	18	870	323	1193	755	269	1024									
		सा.	707	296	1003	14055	15819	29874	8697	11012	19709									
क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपरिथित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए		अभिस्तावित			
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
18	सामाजिक विज्ञान	कुल	511	195	706	210576	148241	358817	170108	117366	287474									
		अजा	78	27	105	46438	23114	69552	39339	19007	58346									
		अजजा	81	29	110	39617	15579	55196	32911	12644	45555									
		अपिव	97	37	134	85903	65800	151703	70400	53066	123466									
		विपिव	6	0	6	7295	2242	9537	6199	1859	8058									
		सा.	249	102	351	31323	41506	72829	21259	30790	52049									
19	शीघ्रलिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 1. शासन सचिवालय	कुल	74	26	100	6108	887	6995	3238	365	3603	0	0	0	0	0	0	अंग्रेजी स्टेनो का परिणाम प्रतिक्षित है।		
		अजा	12	4	16	948	132	1080	443	52	495	0	0	0	0	0	0			
		अजजा	10	2	12	741	92	833	357	31	388	0	0	0	0	0	0			
		अपिव	14	6	20	1873	261	2134	994	114	1108	0	0	0	0	0	0			
		विपिव	0	0	0	97	4	101	58	0	58	0	0	0	0	0	0			
		सा.	38	14	52	2449	398	2847	1386	168	1554	0	0	0	0	0	0			
	2. अधीनस्थ कार्यालय	कुल	404	168	572	उपरोक्तानुसार			उपरोक्तानुसार			0	0	0	0	0	0			
		अजा	64	26	90							0	0	0	0	0	0			

		अजजा	62	25	87				0	0	0	0	0	0	
		अपिव	80	34	114				0	0	0	0	0	0	
		विपिव	4	1	5				0	0	0	0	0	0	
		सा.	194	82	276				0	0	0	0	0	0	
20	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011														
	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग	कुल	27	10	37	101396	25290	126686	58691	12725	71416	0	0	0	0
		अजा	5	2	7	20409	3931	24340	11100	1739	12839	0	0	0	0
		अजजा	3	1	4	14275	2497	16772	7960	1114	9074	0	0	0	0
		अपिव	5	2	7	36178	7920	44098	21089	3968	25057	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	2379	302	2681	1450	153	1603	0	0	0	0
		सा.	14	5	19	28155	10640	38795	17092	5751	22843	0	0	0	0
	2. शासन सचिवालय	कुल	262	63	325	उपरोक्तानुसार			उपरोक्तानुसार			0	0	0	0
		अजा	42	10	52							0	0	0	0
		अजजा	32	8	40							0	0	0	0
		अपिव	55	13	68							0	0	0	0
		विपिव	3	0	3							0	0	0	0
		सा.	130	32	162							0	0	0	0
	3.अधीनस्थ कार्यालय	कुल	1113	472	1585	उपरोक्तानुसार			उपरोक्तानुसार			0	0	0	0
		अजा	175	74	249							0	0	0	0
		अजजा	171	71	242							0	0	0	0
		अपिव	223	95	318							0	0	0	0
		विपिव	11	4	15							0	0	0	0
		सा.	533	228	761							0	0	0	0
21	क्लर्क ग्रेड II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013														
	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग	कुल			33	503921	195671	699592			530101				
		अजा				91023	28265	119288							

		अजजा				62162	21607	83769												
		अपिव				225551	86000	311551												
		विपिव				18064	3791	21855												
		सा.				107121	56008	163129												
	2. शासन सचिवालय	कुल			275	उपरोक्तानुसार				उपरोक्तानुसार										
		अजा																		
		अजजा																		
		अपिव																		
		विपिव																		
		सा.																		
	3.अधीनस्थ कार्यालय	कुल			7538	उपरोक्तानुसार				उपरोक्तानुसार										
		अजा																		
		अजजा																		
		अपिव																		
		विपिव																		
		सा.																		
	कुल योग	कुल	12372	4975	25193	1607820	816500	2424320	800013	474443	1804557	8880	2190	11070	268	148	416	1528	678	2342
		अजा	1955	779	2734	307468	114820	422288	166606	67986	234592	1232	319	1551	36	13	49	258	107	365
		अजजा	1776	690	2466	233583	85099	318682	131276	50173	181449	1391	263	1654	59	18	77	196	85	281
		अपिव	2448	986	3434	615406	326237	941643	298395	192338	490733	2713	684	3317	69	38	107	708	292	1000
		विपिव	126	19	145	48257	12038	60295	24531	6736	31267	142	18	160	2	0	2	31	8	39
		सा.	6067	2501	8568	403106	278306	681412	179205	157210	336415	3402	906	4308	102	79	181	335	186	521



वित्तीय समावेश एवं भुगतान प्रणाली (फिपस्) अवार्ड अभ्यर्थियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली हेतु



अभ्यर्थियों से ऑनलाईन सुरक्षित भुगतान प्रणाली हेतु सिक्योर आई.टी. 2014 अवार्ड

